हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 1990

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 12 मार्च, 1990

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(1) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 11
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1) 36

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 38
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(1) 40
कार्य स्थगन प्रस्ताव	(1) 41
वाक आउट	(1) 42
नियम 64 के अधीन वक्तव्य–	
उप–मुख्य मंत्री द्वारा मेहम उप–चुनाव सम्बन्धी	(1) 43
घोषनाएं–	
(क) अध्यक्ष द्वारा पैनल औफ चेयरमैन सम्बन्धी	(1) 45
(ख) सचिव द्वारा राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिल सम्बन्धी	(1) 45
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 46
सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज पत्र	(1)50
वर्ष 1989– 90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त) पेश करना	(1) 51
ऐस्टिमेट्स कमेटी की वर्ष 1989–90 के सप्लीमैंटरी	
ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त) पर रिपोर्ट पेश करना	(1) 52

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा आन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना–	
(1) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरूद्ध	(1) 52
(2) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम०एल०एज० के विरूद्ध	(1) 53
(3) साप्ताहिक पींग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक श्री डी०आर० चौधरी के विरूद्ध	(1) 54
(4) चण्डीगढ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रैफिक तथा सुरजीत सिंह, कांस्टेबल के विरुद्ध।	(1) 54
(5) श्री रघु यादव एम०एल०ए० (अब भूतपूर्व एम०एल०ए०) के विरूद्ध	(1) 55

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 12 मार्च, 1990

हरियाणा विधान सभा कीं बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ में 14 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon. Members, now the Hon'ble Chief Minister will make obituary referermces.

मुख्य मंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): माननीय अध्यक्ष महोदय और सम्मनित सदस्यगण, पहले सत और इस सत के अर्से के बीच कुछ महानुभाव स्वर्ग सिधार गए हैं जिनमें इस हाउस के कुछ भूतपूर्व सदस्य भी शामिल हैं। मैं उनके लिए औबिचुअरी रैजोल्यूशन पेश करता हूं।

सरदार दरबारा सिंह, पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, सरदार दरबारा सिंह, के 11 मार्च, 1990 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

सरदार दरबारा सिंह का जन्म 10 फरवरी, 1916 को जिला जालन्धर के जडियाला गांव में हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में समर्पित भाव से भाग लिया। वह कई बार गिरफ्तार

हुए व कुल 7 साल तक जेल में रहैं। वह 1971 से 77 में लोक सभा के सदस्य रहैं। वह 1956 से 1967 के दौरान पंजाब सरकार में मंत्री रहैं। वह 1980 से 1983 में पंजाब में मुख्य मंत्री रहैं। वह 1984 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए।

उनके निधन से सारा देश एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कैप्टन मांगे राम हरियाणा के भूतपूर्व विधायक

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व विधायक, कैप्टन मांगे राम, के 8 फरवरी, 1990 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

कैप्टन मांगे राम का जन्म 26 फरवरी, 1918 को जिला रोहतक में गांव कोट में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में वह सक्रिय रूप से डियूटी पर रहैं और उन्हैं इस युद्ध में बहादुरी के कार्यों के लिये उच्च सम्मान प्रदान किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् उन्होंने कश्मीर के युद्ध में भाग लिया तथा शूरता पारितोषिक प्राप्त किया। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिये चुने गये तथा 1982 तक इसके सदस्य रहैं।

उनके निधन से देश एक वीर फौजी तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री गार्गी शंकर मिश्रा, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री, श्री गार्गी शंकर मिश्रा, के 27 फरवरी, 1990 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री गार्गी शंकर मिश्रा का जन्म पहली जनवरी, 1919 को महाराष्ट्र में नागपुर मे हुआ। वह भारत सेवक समाज के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। वह 1967– 1970,1971– 1977 तथा 1977–1979 में लोक सभा के सदस्य रहैं। वह केन्द्रीय पैट्रोलियम राज्य मंत्री भी रहैं।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री हरि सिंह सैनी, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री हरिसिंह सैनी, के 21 जनवरी, 1990 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है

श्री हरि सिंह सैनी का जन्म 2 अक्तूबर, 1919 को जिला हिसार के खोट खुर्द गांव में हुआ। वह महात्मा गांधी के आहवान पर एक वर्ष के लिये जेल में रहैं। उन्होने दलित श्रेणियों तथा किसानों के लिये काम किया। वह 1967 में तथा 1968 के मध्यावधि चुनावों में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मेहम में मारे गए व्यक्ति

यह सदन 28 फरवरी, 1990 को मेहम विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के कुछ मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान के दौरान हुई हिंसा में मारे गए 7 व्यक्तियों के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अन्य व्यक्ति

यह सदन

श्री ए० आर० मल्लू, संसद सदस्य,

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशविधान परिषद तथा भूतपूर्व संसद सदस्य,

श्री गुरबचन सिंह पतंगा, पंजाब भाजपा के महासचिव,

श्री सरोज मुखर्जी, पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा के अध्यक्ष,

श्रीमती लक्ष्मी देवी, हरियाणा की भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज की

माता जी,

श्रीमती मैत्रेयी देवी, प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार,

श्री अमृतलाल नागर, प्रसिद्ध हिन्दी की वय तथा

श्री सुधानन्दा भारती, स्वतन्त्रता सेनानी तथा लेखक

के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर सर, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उस कॉ अपनी ओर से और अपने दल की ओर से समर्थन करते हुए इस अवसर पर इतना ही

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की परिपाटी के अनुसार इस सदन की एक बैठक समाप्त होने के बाद और दूसरी बैठक के प्रारम्भ होने के बीच में यदि ऐसे ख्याति प्राप्त लोग संसार से उठ जाये तो उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जाती है। हमारे सदन के नेता ने उस परम्परा को निभाया है। स्पीकर सर, इन्होंने बजा फरमाया कि श्री गार्गी शंकर मिश्रा जी, जो भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री थे, नागपुर में जन्मे और वे देश के एक बडे सफल सांसद थे। वे भारत सेवक समाज के निर्माण करने वालों में से एक व्यक्ति थे। इसी प्रकार से इस सदन में हमारे साथी रहैं हुए श्रीमान हरि सिंह सैनी जी का भी निधन हो गया। अगर मैं भूलता नहीं तो वह हांसी से विधायक चुने गये थे। जो उनके पी रवार को' कष्ट है, वही कष्ट हमें भी है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से एक बड़ी ही दु:खद घटना मेहम के उप–चुनाव में 2 छ फरवरी को हुई। स्पीकर साहब, मैं आपको इस बात के 1इ लये ऐप्री– शियेट करना चाहता हूं कि आपने स्वयं ही इस सदन में उनका जिक्र ले आने की इजा जत दी बै और इसे विवाद का कारण नहीं बनने दिया। सारे प्रदेश में ही नही, सारे देश में आज इस बात की चर्चा हों रही शै। मरने वालों से सब की सहानुभूति होनी ही चाहिये। इन्होंने जो सात नाम बताये हैं, उन नामों का भी खुलासा हो जाता तो अच्छा होता। यदि वह नाम आ जाते तो स्पष्ट हो जाता कि कौन–कौन मरे हैं। उनके साथ सहानुभूति होना स्वाभाविक ही है। हमारी प्रार्थना यह है कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे क्योंकि लोकतन्त्र के लिये वे बलिदान हुए हैं। स्पीकर सर, इसी

प्रकार से हमारी पार्टी के महामन्त्री श्री गुरबचन सिंह पतंगा, जिनक। सारा परिवार ही पार्टी का सी क्रय कार्यकर्ता है, का भी निधन हो गया। उग्रवादी उनकी ताक में रहते थे। इनके अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं, जो रह गये हैं। एक रोहतक में श्रीमती लक्ष्मी बाई जो स्वतन्त्रता सेनानी थीं, उनका भी निधन हो गया है। गुप्ता जी को हो सकता है, उनकी याद हो। अभी – अभी उनका निधन हुआ है। सन् 1952 के चुनावों में चौधरी माडू सिंह जी के मुकाबले में वे खड़ी थीं लोइ कन वह सफल नहीं हो पायी थी। परन्तु वे बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता, फीडम फाईटर और महिलाओं के लिये एक आदर्श महिला रही हैँ। उनका नाम भी अगर शनि मल कर लिया जाये तो अच्छा रहैंगा।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): ठीक है जी। इनका नाम शामिल कर लिया जाये।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव के बनाने वाले महानुभावों ने पड़ोस के प्रदेश में हाल ही में मरे लोगों का उल्लेख नही कया है। अभी–अभी अबोहर में सामूहिक हत्याएं हुई हैं उसका भी अगर उल्लेख कर दिया जाए तो अनुचित नही होगा। उन लोगो का देश की एकता के लिए और देश की अखंडता के लिए बलिदान हुआ है। वे निर्दोष लोग थे, निहत्थे लोग थे और वे सोचते थे कि राजीव गांधी चले गए शायद अब ये हत्याएं पंजाब में नहीं होंगी, काश्मीर में नही होंगी लेकिन दुर्भाग्यवश हत्याओं का सिलसिला जारी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि केन्द्र

की भलमानसी की नीति को उग्रवादी नही समझ रहैं हैं। जैसे को तैसा जब तक न मिले लोग बात नहीं समझते, इसका मतलब यही निकलता है। अध्यक्ष महोदय, इस शोक प्रस्ताव के मौके पर और आगे कोई बात मैं नही कहना चाहता लेकिन जन लोगों की हत्याएं हुई हैं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और और जिन्होंने हत्याएं की हैं उनकी पुरजोर निन्दा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये जो सामूहिक हत्याएं हुई हैं उनको भी इस शोक प्रस्ताव मे शमिल कर लिया जाए।

मुख्य मंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): ठीक है जी, यह भी शााइ मल कर 1इ लया जाए।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी सरदार दरबारा सिंह का नाम भी आया। यह बड़ा ही दु:खद समाचार है। मुझे उनके साथ पंजाब असैम्बली में काम करने का मौका मिला था। कई बार चौधरी देवी लाल के साथ वे बड़े घुली मल कर बातचीत करते थे लेकहन वे अपनी वहचारधारा के बहुत ही पक्के आदमी थे। अध्यक्ष महोदय, विचारधारा के साथ मतभेद हो सकता है लेकिन उनके समर्पण के भाव की प्रशंसा करनी चाहिए और दिवंगत का ब्राइट आस्पैक्ट लेना चाहिए। सरदार दरबारा सिंह इस बात के मुस्तहिक थे कि उनकी प्रशंसा की जाए। वे संसार की यात्रा पूरी करके चले गए।

इसी प्रकार से कैप्टन मांगे राम 1977 मे जनता पार्टी की टिकट पर चुन कर आए थे और 1982 तक वे सदन के सदस्य रहैं। वे भी इस संसार की याता पूरी करके चले गए। पहले वे फौज में रहैं, उसके बाद विधायक रहैं और उन्होने विधायक रहते हुए जनता की सेवा की। उनके प्री त भी मैं सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से सहानूभूति प्रकट करता हूं और अपना. स्थान लेता हूं।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के नेता एवं सदन के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बोलने के पश्चात मुझे इस शोक प्रस्ताव पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु अध्यक्ष महोदय दुर्भाग्य से कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से चले गए जिनके नाम इस सूची में शामिल है और जिनके साथ मेरा बहुत. लम्बा, घनिष्ठ और निकट का सम्पर्क और सम्बन्ध रहा है। सरदार दरबारा सिंह का नाम इस सूची में अचानक आज प्रातःकाल जोड़ना पड़ा। यह दुखद समाचार प्रातःकाल रेडियो खबरों में ही मैंने सुना और सुनकर दिल को बड़ा भारी धक्का लगा।, अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि आपका भी सरदार दरबारा सिंह के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है। वे उच्च कोटि के देशभक्त थे और एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे। अपनी भरी जवानी के लम्बे साल उन्होने जेल की काली कोठरी में बताये और देश की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष

चल रहा था उसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद वे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्षों तक अध्यक्ष रहैं। जब पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों मुख्य मन्त्री थे उस समय सरदार दरबारा सिंह कांग्रेस अध्यक्ष थे और मैं उनकी कार्यकारिणी का वर्षों तक सदस्य रहा। मुझे मालूम है कि वे किस प्रकार के इन्सान थे। अध्यक्ष महोदय, वे सच्चे मायनों में राष्ट्रवादी थे। उनके सामने सिख, हिंन्दू, मुसलमान और ईसाई में किसी प्रकार की कोई तमीज नहीं थी। वे एक सच्चे हिन्दुस्तानी थे और सभी को हिन्दुस्तानी मानकर चलते थे। अध्यक्ष महोदय, वे एक बड़े सीजन्ड पौलिटीशियन थे। हर मौके पर वे बड़ी सूझ बूझ से काम करते थे। वे पंजाब प्रदेश के पहले गृहमन्त्री और फिर मुख्य मन्त्री भी रहैं। वे एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। वे कुशल प्रशासक और बड़ी उच्च विचारधारा के व्यक्ति थे। वे राष्ट्रवादी नेता भी थे। ऐसे नेता के निधन से आज पंजाब को व सारे देश को नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि राजनीतिक तक क्षेत्र में जो अच्छे व्यक्ति थे और पक्के राष्ट्रवादी देश– भक्त थे, वे एक–एक करके हमारे बीच से विदा हो रहैं हैं और इस से हमारे देश का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

इसी तरह से श्री हरि सिंह सैनी, जो कि दो बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए उनका भी निधन हो गया है। उनका चुनाव क्षेत्र मेरे भिवानी चुनाव क्षेत्र के साथ लगता था। वे बहुत ही भले इन्सान थे, स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। वे दो बार इस देश की

आजादी के लिये जेल भी गये। मुझे पता है कि उनका व्यवहार कितना मधुर मैं यह समझता हूं कि उनका अपने क्षेत्र में तो क्या समस्त हरियाणा के अन्दर कोई शत्रु नहीं था।

कैप्टन मांगे राम जी का भी निधन हुआ। वे इस सम्मानित सदन के सदस्य रहैं। यद्यपि उनका मेरे से इतना ज्यादा सम्पर्क नही रहा लेकिन मैं फिर भी उनके बारे में कह सकता हू कि वे अच्छे इंसान थे और एक भूतपूर्व सैनिक थे। उन्के निधन से सारे हरियाणा की जनता को, खासकर इस सदन में बैठे हुए सभी. सदस्यों को खेद है। इसी तरह से श्रीमती सुषमा स्वराज जी की पूज्यनीय माता जी का भी निधन हुआ जिसका हम सब को बड़ा दुख है। अध्यक्ष महोदय, अभी डाक्टर मंगल सैन जो ने बताया कि दुर्भाग्यवश मेहम के उप–चुनाव में कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उस क्षेत्र के कुछ व्यक्ति गोली का शकार हुए और उनका निधन हुआ। इस बात का. हम सब को वड़ा ही दुख है। हम सब उन लोगों के परिवारों के प्रति व उस इल। के के लोगों के प्रति, इस दुर्भाग्यपूर्ण कांड के लिये संवेदना प्रकट करते हैं। उन सब के परिवारों के प्रति हमारी सब की पूर्ण सहानुभूति है। इन शब्दों के साथ, मैं मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा इस सदन में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हू। धन्यवाद।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने पूर्व परम्परा के मुताबिक सदन में शोक प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, प्रकृति का जो नियम है, वह

अटल है और वह प्रक्रिया निरन्तर चल रही है कि जो इस संसार में आया है, वह एक न एक दिन अवश्य ही जाएगा लेकिन कुछ महान विभूतिया ऐसी हैं जिनका विशेष सम्बन्ध इस देश या प्रदेश के साथ, किसी न क्सी रूप में जुड़ा हुआ है। उनके निधन पर हम सब को दुख होना स्वाभाविक ही है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री महोदय ने सरदार दरबारा सिंह जी के निधन का अपने शोक प्रस्ताव में जिकर किया और मानयोग गुप्ता जी ने उनके चरित के०पर काफी रोशनी डाली है। अध्यक्ष महोदय, आप भी भली भांति जानते हैं कि सरदार दरबारा सिंह जी एक बहुत बड़े स्वतन्त्रता सेनानी थे और इसके साथ–साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहैं है जो अपने जीवन के आखिरी समय तक राजनीतिक पटल पर विशेष रूप से पंजाब में और राष्ट्र पर छाये रहैं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा उन से थोड़ा सा सम्बन्ध रहा है लेकिन मैंने उनको मजबूत इरादे व बेदाग व्यक्ति पाया है। पार्टी के अन्दर जब भी कभी कोई ऐसा मौका आया तो उन्होंने राजनीति से०पर उठकर सभी बातों को बड़े अच्छे और सुलझे ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया। वे बडे ही सिद्धान्तवादी थे और राष्ट्रवादी थे। उनके निधन से आज समस्त पंजाब और हरियाणा को ही नहीं बल्कि समस्त देश को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी महानविभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कैप्टन मांगे राम जी ने सरहद के प्रहरी के रुप में अपने जीवन का काफी समय बिताया था। वे स्वतन्त्रता सेनानी भी रहैं.। उनके निधन से भी हमें बहुत दुख व क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरहद के सिपाही व स्वाधीनता सेनानी से बड़ा कोई राजनीतिक नेता भी नही हो सकता। आज हम उन्ही लोगों की कुर्बानी की वजह से आजादी का सुख भोग रहैं हैं। ऐसे देशभक्तों के लिए श्रद्धा सुमन ही महत्वपूर्ण नहीं है। वे श्रद्धान्जलि के शब्दो से कहीं परे है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेहम के उप चुनाव का जिक्र आया। वैसे तो इस बारे में ज्यादा किसी आलोचना का इस समय अवसर नही है और इस के०पर देश में काफी चर्चा हो चुकी है। प्रदेश, देश व प्रैस ने भी इसकी एकमत निन्दा की है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए श्रद्धांजलि शब्द को तो मैं उचित नही समझता। यह मृत्यु नहीं है बल्कि हत्या है। आज प्रजातन्त्र की हत्या, लोकतन्त्र की इस हत्या से एक ऐसी परिपाटी बन गई है कि जिससे देश का भविष्य व सुरक्षा डगमगाने लगी है। इलैक्शन कमीशन ने भी इस बारे में सरकार के०पर एक बहुत बड़ा दोष लगा दिया है सरकार दोष के कठघरे में खड़ी है। पता नहीं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह सैशन किस जल्दी में बुला लिया। पहले तो यह सैशन 12 तारीख की बजाए 19 तारीख को होना तय था। पता नहीं शोक सभा की वजह से सैशन जल्दी बुलाया है। अच्छा होता कि आज यह सैशन न बुलाया जाता और हम लोग

वहां जाकर शोक सभा में शामिल होते जोकि आज के लिए तय थी। उन लोगों को हमें केवल श्रद्धांजलि ही नहीं देनी चाहिए। आज जबकि वहां शोक सभा का दिन है यहां श्रद्धांजलि अर्थहीन है। जहां सत्ता पक्ष तो इसमें सारी ही भागीदार है वहां हम सभी उसमें शरीक हैं। इसलिए सरकार को एक आदर्श स्थापित करना चाहिए वरना प्रजातन्त्र के दिन अब बीते से लगने लगे हैं। मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे मैं इन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए थोड़ी है और सरकार को इन मासूमों की हत्या का प्रायश्चित करना चाहिए 'फिर वहां की जनता के सामने समर्पण।

अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा और भी अनेक विभूतियां हमारे बीच में से उठ गई हैं। इस सूची में बहन सुषमा जी की माता जी का भी जिक्र आया। माता–पिता, परिचय में गुरु और ईश्वर से आगे गिने जाते हैं लेकिन विधि का विधान है कि समय के अनुसार एक दिन सब ने जाना होता है। यह एक अटल सत्य है। इन शब्दों के साथ मैं तमाम विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है, उसके बारे में मैं देश के इन महान पुत्र पुत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपना दुख जाहिर करता हूं। सरदार दरबारा सिंह जो हमारे पड़ोस के राज्य में मुख्य मन्त्री रहैं, देश की आजादी की लड़ाई में एक

सिपाही रहैं। इन्होंने देश की आजादी के लिए जेलें काटी थीं। इनके जाने से जहां पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है वहां हमें भी बहुत दुख हुआ है। आज देश के अन्दर एकता के लिए खास तौर से धर्म निरपेक्ष ताकतों की ज्यादा जरूरत है। इनके निधन से देश को बहुत भारी नुकसान हुआ है।

श्री सरोज मुखर्जी, पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा के अध्यक्ष थे और 1971 से 1977 तक वे पार्लियामैंट के मैम्बर भी रहैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए भी जेल काटी 1 आजादी के बाद भी उन्होंने हिन्दुस्तान के मजदूरों और कसानों के हकूकों के लिए जेल काटी तथा जनवाद की रक्षा के लिए भी जेल काटी।

अध्यक्ष महोदय, मेहम के उप चुनाव के दौरान जन लोगों की हत्याएं हुई हैं मैं उनको अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि पेश करता हूं। मेहम में जो लोग मारे गए हैं, वे ऐसे लोग थे जो किसी बीमारी के कारण नही मरे है उनकी हत्याएं की गई हैं। यह बड़ी दुखदाई बात है। मैं उन लोगों को एक बार फिर अपनी ओर से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

अबोहर में आतंकवादियों ने हमारे 30 भाई बहनों की हत्याएं की हैं जो कि एक बड़ी शर्मनाक बात है। अबोहर में हत्याएं इसलिए की गई ताकि हमारे देश की एकता को तोडा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि केन्द्र में नई सरकार के आने से देश में जो वातावरण पैदा हुआ था कि इस

समस्या का समधान होगा, उसमें देरी हो रही है जिसके कारण लोगों में केन्द्रीय सरकार के लिए जो विश्वास पैदा हुआ था वह खत्म हो रहा है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसका कोई न कोई समाधान करना चाहिए। अन्त में मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौंद): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उसके बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो महान विभूतियां इस संसार से चली गई हैं इनमें से मैं किसी भी महान विभूति से जाति तौर से पा रचित नहीं हूं। लेकिन मैं सरदार दरबारा सिंह जी के बारे में बहुत पूराने समय से सुनता आ रहा हूं कि उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया और वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहैं। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसके बाद मुख्य मंत्री जी ने कैप्टन मांगे राम जी का शोक प्रस्ताव रखा है। उनके साथ भी मेरा निकट का संबंध नहीं रहा लेकिन उन्होंने हरियाणा प्रदेश की बतौर इस महान सदन के सदस्य होने के नाते से बहुत सेवा की है। उनके प्रति मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद श्री गार्गी शंकर मिश्रा, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री का शोक प्रस्ताव रखा गया है। मैं अपनी ओर से इनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री हरि सिंह सैनी, दो बार इस महान सदन के सदस्य रहैं और उन्होंने

हरियाणा प्रदेश की बहुत सेवा की। मैं उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सदन में जितने भी शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उनसे मेरा निकट का संबंध नहीं रहा। इस लिस्ट में हमारे सदन की माननीय सदस्या बहन सुषमा स्वराज जी की माता जी का नाम भी' जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, माता के प्यार का हाथ जिस भी सिर से उठ जाता है वही महसूस करता है और मां का प्यार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा नहीं लगता कि सदन में कोई विवाद की बात की जाए। मेरे से पहले बोलने वाले इस महान सदन के महान सदस्य डाक्टर मंगल सैन जी ने कहा कि जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन्होंने प्रजातंत की बहाली के लिए अपना बो लदान दिया है अगर उनके नाम इस शोक प्रस्ताव में जोड़ दिए जाते तो अच्छा रहता। उनके नाम शोक प्रस्ताव में सरकार को खुद ही जोड़ने चाहिए थे। यह भी एक विवाद की बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो बाकी लोग रह गए हैं जिनके नाम चर्चा में भी नहीं आए और प्रैस में भी नहीं आए क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों की हत्याएं हुंई हैं उन सभी लोगों के नाम इस शोक प्रस्ताव में आ जाते तो अच्छा रहता। इन शब्दों के साथ मैं उन लोगों के परिवारों के साथ अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से साहानुभूति प्रकट करता हूं और इन सभी महान विभूतियों को जो

इस संसार को छोड़ कर चली गई हैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जयहिन्द।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्य मंत्री द्वारा इस महान सदन के अन्दर जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत. किया गया है, मैं उस पर बोलने के लित खड़ा हुआ हूं। हालांकि मेरा इन महान लोगों से कोई निजी संबंध तो नहीं रहा है पर हिन्दुस्तान की राजनीति के अन्दर इन लोगों का खूब नाम रहा है। सरदार दरबारा सिंह जी हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के ही रहने वाले थे। इस शोक प्रस्ताव में कैप्टन मांगे राम, श्री गार्गी शंकर मिश्रा और श्री हरिसिह सैनी आदि के भी नाम हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट है जस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। श्री सरोज मुखर्जी 1971 से लेकर आपातकाल स्थिति के दौरान तक हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के मैम्बर रहैं। श्री सरोज मुखर्जी ने हिन्दुस्तान की राजनीति के अलावा पश्चिमी बंगाल के उस दौर को भी भुक्ता जब वे लोगों को लोकतांत्रिक हकूक दिलाने के लिए लड़ते रहैं और उसमें उन्हैं विजय भी हासिल हुई। जब पूरे हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी द्वारा फासिस्ट तानाशाही थोप दी थी उस दौर में उन्होने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। जब पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चा के अध्यक्ष, श्री प्रमोद दास जी, की मृत्यु हो गई तो उस समय यह बात उठी कि इस मोर्चे को अब कौन सम्भालेगा श्री प्रमोद दास गुप्ता की मृत्यु के बाद श्री मुखर्जी ने

बाद में इस मोर्चे को बखूबी संभाला और आज पश्चिमी बंगाल में वही मोर्चा 13 साल से राज कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी दों–चार रोज पहले ही अबोहर में कुछ उग्रवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। इसी प्रकार से मेहम के अन्दर भी कुछ लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अपने वोट के अधिकार को बचाते हुए मारे गए। इन लोगों को सिर्फ श्रद्धांजलि देने से ही हमारा मकसद पूरा नहीं हो पायेगा। हमारे इस महान सदन को कुछ परम्पराएं बनाते हुए यहां पर कुछ मूल्य स्थापित करने चाहिएं और इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आज मेहम में शोक सभा चल रही है। ऐसी एकाध घटना पार्लियामेंट के चुनावो के दौरान भिवानी में भी हुई थी। 1985. में जब टोहाना का उप चुनाव हुआ था तो उस समय के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में बूथों पर कब्जे किए गए थे। यह परम्परा जो भजन लाल के शासन काल में शूरू हुई फतेहाबाद, भट्टू उपचुनाव, फर टोहाना व फिर जनता दल–बी० जे० पी० के शासन में 1988 में फतेहाबाद उपचुनाव और उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी चुनाव में होते हुए अब मेहम में यह शिखर में पहुंची है जिसमें 10 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बोरे में हमें पूरी गहराई से सोचना होगा कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। अगर हम ऐसा नही सोचेंगे तो फिर परम्परा की लीक पीटने वाली– बात ही होगी। जो लोग इन परम्पराओ के लिए जिम्मेदार हैं यदि वे ही अपनी जिम्मेवारी ठीक

नहीं निभाएंगे तो फिर मैं समझता हूं कि इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का कोई फायदा नहीं होगा। अंत में मैं इन सब दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना स्थान लेता है।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, आज सुबह जब मुझे सरदार दरबारा सिंह जी के चले जाने का पता चला तो जमीन सी हिल गई। पिछले 25 सालों से मेरा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। वे मुझे पौलिटिक्स में लेकर आये। मैं उनके साथ रहा। अभी एक महीने पहले की ही बात है कि मैं अम्बाला में था। मुझे पता चला किं सरदार दरबारा सह जी अपने परिवार के साथ पी० डब्ल्यू० डी० रैस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। मैं उनके पास मिलने के लिए गया और मेरी उनके साथ दो घंटे बात होती रही। वे एक–एक वर्कर के बारे में पूछते रहैं कि उनका क्या हाल है। जो वर्कज उनके साथ काम करते थे उनके नाम तक उनको याद रहते थे। मेरा घर चण्डीगढ़ और दिल्ली के बीच में पड़ता है और 1977 से लेकर 1 986 के बीच वे बहुत बार मेरे घर आये थे। उनके चले जानै के बाद महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ा देशभक्त, एक बहुत बड़ा ईमानदार इन्सान, एक बहुत बड़ा सैकुलर आदमी इस संसार से चला गया है। इसी प्रकार श्री ही र सिंह सैनी इस संसार से चले गये हैं। वे बहुत ही साफ तबीयत आदमी थे।. बाकी सभी दू सरे महानुभावों के स्वर्गवास का भी मुझे बेहद अफसोस है। मैं

सभी दुखी परिवारों को इस हाउस की तरफ से हमदर्दी का इजहार का चिट्ठी द्वारा कर दूंगा।

अब हाउस के सभी माननीय सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन रखेंगे।

(इस समय हाउस के सभी सदस्यों ने दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन रखा।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Selling of Land or Municipal Committees in he Sae

***1031. Shri Surinder Kumar Madan : Will** the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) whether any land of Municipal Committees in the State has been sold by the Government during the years 1987-88. 1988-89 and 1989-90; if so, the rmames thereof; and

(b) the names of the persons to whom the land, as referred to in part (a) above, has been sold togetherwith the rate at which the land has been sold ?

स्थानीय शासन मंत्री (श्री सुभाष चन्द कटियाल):

(क) तथा (ख): नगरपालिका की भुमि सरकार द्वारा नहीं बेची जाती है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं की जो जमीन बेची जाती है उसके लए सरकार की ऐप्रूवल ली जाती है या नहीं, क्या मरती महोदय इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे?

श्री सुभाष चन्द कटियालः नगरपालिकाओं की जो जमी न बेचने के लए होती है उसके लिए नगरपालिका प्रस्ताव करती है कि जमीन बेची जाए और डी० सी० उसका अनुमोदन देता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां नगरपालिकाओं के चुनाव नही हुए हैं और नगरपालिकाएं नही हैं, क्या ऐसी किसी नगरपालिका की भूमि बेची गई है? यदि बेची गई है तो कस भाव पर और कस आदमी को बेची गई है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः जहां पर नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर ऐडीमनिस्ट्रेटर्ज हैं। ऐसी नगरपालिकाओं में जमीन बेचने के लिए ऐडमिनिस्टेरटर से प्रस्ताव आता है और डी० सी० उसका अनुमोदन करता है।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव पहले तहसील होती थी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस समय वहां पर को ई जमीन बे ची गई थी, और यदि बेची गई थी तो वह जमीन किसने खरीदी?

श्री अध्यक्षः उनके लिए औफ हैंड इसका जवाब देना पौसीबल नहीं है।

श्री सुभाव चन्द कटियालः इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, गुडगांव में कुछ जमीन बे ची गई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हर शहर के बारे में जवाब देना उनके लए मुश्किल है।

आवाजें: यह प्रश्न सारे हरियाणा के बारे में है।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्हैं इसकी कोई जानकारी है, श्री तैयब हुसैन ने नगरपालिका की कोई जमीन खरीदी है, और यदि खरीदी है तो किस भाव पर खरीदी है?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटी की जितनी भी जमीन होती है उसको बेचने का अधिकार म्यूनिसिपल कमेटी को होता है। म्यूनिसिपल कमेटी किस जमीन को कब बैचे उसके लिए सरकार से मन्जूरी ली जातो है। इस प्रकार की मन्जूरी के बाद ही जमीन बेची जाती है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि नगरपालिका की जमीन

सरकार से मन्जूरी ले कर बेची जाती है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मल्टी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद कम्पलैक्स की भी कोई जमीन बेची गई है और सरकार से उसकी मन्जूरी ली गई है? फरीदाबाद कम्पलैक्स की जमीन के बारे में बहुत देर तक अखबारों में चर्चा रही है कि वहां पर अनियमितताएं हुई हैं। क्या सरकार के नोटिस में यह बात है और क्या सरकार इस बारे में कोई जांच करवाएगी?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि फरीदाबाद कम्पलैक्स अलग से अथौरिटी है। वह म्यूानिसिपल कमेटी के तहत नहीं आता।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से पू छना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई पल नगरपालिकाओं को लिखा है कि नगरपालिकाओं की जो जमीन किसी के पास किराये पर तहैंबाजार है या किसी ने कोई नाजायज कब्जा कर रखा है, अगर उसे वह खरीदना चाहता है तो नगरपालिका उसको बेचेगी?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, नाजायज कब्जा केवल म्यूनिसिपल कमेटी की लैन्ड पर ही नहीं है बल्कि कई प्रकार की जमीनों पर है, इवन वकफ बोर्ड की जमीन पर भी झगड़े चलते है। इस तरह की नाजायज कब्जे वाली जमीन बेची नहीं

जाती बल्कि वे कब्जे छुड़ाये जाते है और इस प्रकार की जमीनो पर मुकद्दमे चलते हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, मे आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने कितनी भूमिं बेचने की इजाजत दी है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अगर आपने इस प्रकार का सवाल पूछना है तो अलग से नोटिस दे कर पूछ सकते हैं।

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर म्यूनिसिपल कमेटी की जितनी शामलात देह जमीन पड़ी है उस पर म्यूनिसिपल कमेटी का कब्जा नही है और लोगो ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। क्या उस जमीन को छुड़वाने का भी सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रान्त में 81 म्यूनिसिपल कमेटियां है, इसलिए उन सभी का विवरण दिया जाना सम्भव नही होगा।

श्री राम विलास शर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में फरमाया है कि सन 1987–88, 1988–89 तथा 1989–90 में कोई जमीन नही बेची गई। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या नगरपालिका को जमीन बेचने

की शक्ति का कोई प्रावधान है कि किस जमीन को वह बेच सकती है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, यह बताया जा चुका है कि म्यूनिसिपल कमेटी अपनी जमीन को बेचने के लिए सरकार से परमिशन लेती है। यह अधिकार सरकार को नहीं है कि वह म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन को बेचे। सरकार के सामने जब कोई डिमांड आती है तो सरकार निर्णय करके म्यूनिसिपल कमेटी को भेज देती है।

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने टैकनीकली शरदों का सहारा ले कर यह कह दिया कि सरकार ने कोई जमीन नही बेची। सवाल यह है कि क्या इस तीन साल के पीरियड में म्यूनिसिपल कमेटी ने कोई जमीन बेची है और अगर बेची है तौ क्या उन्हैं जानकारी हैं?

श्री सुभाष चन्द कटियालः मैं सदन की जानकारी के लिऐ बताना चाहूंगा या हरियाणा प्रदेश में 81 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। इन सभी से सूचना एकत्र करने में जितनी मेहनत और समय लगेगा उसके मुकाबले में उतना लाभ नही होगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः इस बारे में आप अलग से सवाल कर ले, जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मँत्री महोदय ने अभी बताया है कि जिन फरीकान ने म्यूनिसिपल

कमेटियों की जमीनों पर कबजे कर रखे हैं उनको बेचा नहीं जा सकता बल्कि उनसे कब्जे छुड़ाये जाते है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री तथा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे केसिज उनके नोटिस' में हैं जहां लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर या फरीदाबाद कम्पलैक्स या रिहैव्लीटेशन कीं जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है और उन्हैं ही नोटिस दे कर और भाव तय करके वह जमीन कब्जा छुड़ाने की बजाय दे दी गई? क्या ऐसा कोई नियम या कानून है जिसके तहत जमीन दी जा सकती है? अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो क्या उनकी जानकारी में यह बात है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः यह किसी भी अदायरे की अपनी इच्छा की या अपनी मर्जी की बात होती है। ग्राम पंचायतों में भी इस प्रकार के बहुत से केसिज चलते हैं। लोकल बौडीज में भी चलते हैं। अभी तक पूराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डज के भी कुछ केसिज चल रहैं हैं। जिला परिषदों के भी चलते हैं और यह अथौरिटी ही तय करती हैं कि किस केस पर किस प्रकार का निर्णय लिया जाये।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। फरीदाबाद में जवाहर कालोनी. के एक पार्क में फिल्म हाल बनाया गया है। उस फिल्म हाल को बिजली का कुनैक्शन भी दे दिया गया है और

पानी का कुनैक्शन भी दे दिया गया है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये कुनैक्शंज किस तरह से दिये गये है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मे भी एक सवाल आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। इस एक सवाल पर 10 सप्लीमैंट्रीज आ गये। सवाल केवल यह था कि म्यूनिसिपल कमेटीज की कुछ ऐसी जमीन है जो बेची जा रही है या नहीं बेची जा रही है। इस पर यह जवाब दिया गया कि सरकार से परमिशन ली जाती है। यह तो हम सब जानते हैं कि सरकार से बेचने के लिये परमिशन ली जाती है, यह कोई बताने वाली बात नहीं है। सीधा सवाल यह था कि सरकार ने इन तीन सालों में म्यूनिसिपल कमेटीज की कोई जमीन बेची है या नही बची है? अगर बेची है तो कहां–कहां पर और कितनी–कितनी बेची है? इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। मेरा इस बारे में कहना यह है कि एक कमेटी बनाई जाये जो यह देखे कि कितनी जमीन बेची गयी है और कहां–कहां पर बेची गयी है। यह एक अहम मामला है। इसका जवाब आना चाहिये।

Mr. Speaker : It is a suggestion and not a yuestion. Now the next yuestion.

Govt. College Gurgaon

***1038. Sita Ram Singla :** Will the Minister for

Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open another Govt. College at Gurgaon during the financial year 1990-91: and

(b) if so, whether the Govt. has acyuired land for the construction of the aforesaid college ?

शिक्षा तथा विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह):

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री सीता राम सिंगला: स्पीकर साहब, हमारी पूर्व शिक्षा मन्त्री महोदया ने यहां पर ही विश्वास दिलाया था कि तीसरा कालेज भी गुड़गांव में शीघ्र ही खोल दिया जायेगा। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उसके दृष्टिगत इस बारे में पुनः विचार किया जायेगा?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, यह कालेज खोलने के लिये 15 एकड़ जमीन चाहिये। हमने वहां के प्रिंसीपल से पूछा था कि क्या कालेज खोलने के लिये 15 एकड़ जमीन है? उन्होंने डिपार्टमैंट को जवाब दिया है कि केवल हुड्डा के पास ही गुड़गांव में जमीन है। उस बारे में हमारा पत्र–व्यवहार हुड्डा से चल रहा है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने पहले तो यह फरमा दिया कि वहां पर कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब फरमा रहैं हैं कि हुड्डा से

जमीन के लिए खतो–किताबत हो रही है, पत्राचार हो रहा है। क्या उस पत्राचार में यह लिखा है कि हुड्डा 15 एकड़ जमीन दे। कालेज खोलना है या नही खोलना है, इस बारे में सरकार का दया स्टैड है?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 25 जगहो से मांग आ रही है और उसमें गुड़गांव में कालेज खोलने का मामला भी विचाराधीन है। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि जमीन केवल हुड्डा के पास है। हमने हुड्डा से यह पूछा है कि आपके पास क्या किसी कालोनी में जमीन है?

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी देवी लाल जी ने एक पत्र सभी विधायकों को भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि हरियाणा के कुछ लोग बाहर जाकर बस गये हैं। उन्होंने वहां पर अच्छे पैसे कमा लिये हैं। अगर वे हरियाणा के विकास के अन्दर कुछ योगदान देना चाहैं, तो उनको ऐप्रोच किया जाये। गुडगांव के एक दानवीर व्यक्ति बम्बई में रहते हैं। गुड़गांव के अन्दर तीसरा कालेज खोलने के लिए उन्होंने 30 लाख रुपया देने की औफर की है। मैंने उसके सम्बन्ध में सरकार को लिखा था। क्या सरकार वहां पर कांलेज खोलने के बारे में सोच रही है क्योंकि ऐसा करने से उसको 30 लाख रुपया तो वह मिल ही जायेगा? क्यों नहीं यह कालेज जल्दी से जल्दी खोला जा रहा है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, दो कालेज तो पहले ही वहां पर चल रहैं हैं लेकिन सिंगला जी ने ठीक ही कहा है कि एक सेठ महावीर प्रसाद ने हमें कहा है कि अगर सुख सुरजी नाम से गवर्नमैंट कालेज वहां खोल दिया जाये तो वे 30 लाख रुपया देने को तैयार हैं। परन्तु मैं पहले ही माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि जमीन के मामले में हम कोशिश कर रह हैं। हमें जमीन मिलेगी तो कालेज खुलेगा। बगैर जमीन के कालेज कैसे खुलेगा?

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि हुड्डा के साथ पत्राचार चल रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे. कि हुड्डा ने क्या जवाब दिया है? उसके पास जमीन है या नहीं है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, हुड्डा का कोई जवाब हमारे पास नही गया।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः मन्त्री महोदय, ने अभी बताय कि तकरीबन पच्चीस जगहों से कालेज खोलने के बारे में प्रस्ताव आए हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में एक गर्ल्ज कालेज विंग कालेज के तौर पर है और उनके पास जमीन भी है। पिछले सैशन मे बहन जी ने आश्वासन दया था कि ऐसी जगह जहां पर विंग कालेज हैं और अगर उनके पास जमीन है तो उनको फुलफलैज्ड कालेज बना दया जाए गा। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें

न कि जहां पर विंग के तौर पर कालेज चल रहैं हैं उनको फुलफलैज्ड कालेज बनाने पर विचार किया जाएगा और क्या फरीदाबाद के वि न के तौर पर चल ने वा ते गर्ल्ज कालेज को जस के पास जमीन भी है, वहां को बढती हुई आबादी और शक्षा के प्रसार को देखते हुए फुलफलैज्ड कालेज बनाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि पच्चीस जगह से कालेज खोल ने के लए मांग आई है लेकिन वर्ष 1990 – 91 में हमने केवल एक ही कालेज खोलना है। अभी सरकार ने अन्तिम नर्णय नही लया है कि वह कालेज कहां खोलना है।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि हुड्डा से कोई खतोकिताबत की गई थी कि जमीन दी जाए। स्पीकर साहब, मैं भी हुड्डा की परचेज कमेटी का मैम्बर रहा हूं और पिछली कई मीटिंग्ज अटैंन्ड की हैं। जब भी हुड्डा में जमीन के लेनदेन का मामला आता है और इस बारे में कोई फैसला लेना होता है तो सरकारी अधिकारी फैसला लेने से डरते हैं और वे के ओई कमैन्टस लख ने से डरते हैं। वीरेन्द्र सह जी खुद कमैन्टस फा इल पर लख कर उनसे दस्तखत करा या करते थे।

श्री अध्यक्षः यह तो एजूकेशन का सवाल है।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हुड्डा से इस खतोकिताबत का कोई जवाब आया है। अगर कोई जवाब आया है तो वह क्या जवाब है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हुड्डा का कोई जवाब नहीं आया।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि अगर कही पर पन्द्रह एकड जमीन कालेज खोलने के लए मल जाए तो वहां पर कालेज खोलने पर विचार कया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बबैन में कोई कालेज न हीं है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर बबैन में कन्या विद्यालय के लिए पन्द्रह एकड जमीन दे दी जाए तो क्या वहां पर कन्या कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि कालेज खोलने के लिए जमीन चाहिए लेकिन कालेज खोलने के लिए पच्चीस जगह से मांग आई है और मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है कि वर्ष 1990–91 में कालेज कहां खोलना है।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि गुड़गांव से इन्होंने इंक्वायरी कराई थी और वहां से रिपोर्ट आई कि पन्द्रह एकड़ जमीन उनके पास नहीं है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी

क्या उस अधिकारी ने यह लिखा था कि वहां पर कालेज खोलने की आवश्यकता है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, कालेज खोलने के लिए नौर्म है कि पन्द्रह एकड़ जमीन चाहिए लेकिन किसी अधिकारी ने ऐसा नही लिखा।

श्री शिव प्रशादः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि हुड्डा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जमीन के बारे में हुड्डा को कब–कब चिट्ठी लिखी थी?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, एक पत्र 28–9–1988 को लिखा था और फिर 26–10–1988 को दुबारा पत्र लिखा था।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि इन्होने दो लैटर लिखे थे। पहले लैटर और दूसरे लैटर में एक महीने का अन्तर है लेकिन किसी लैटर का जवाब नहीं आया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि लैटर मिनिस्टर औफ टाउन एंड कन्टरी प्लानिंग को लिखा था या डायरैक्ट हुड्डा को लिखा था?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हुड्डा डिपार्टमैंट की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया।

तारांकित प्रश्न संख्या 1021

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री मनी राम, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Upgradation of Schools

@1042 Shri Kailash Chand Sharma, Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the districtwise number of schools upgraded from Primary to Middle, Middle to High School and High School to 10+2 system during the year 1988-89; and

(b) whether the teachers have been provided in the aforesaid schools according to their requirement ?

शिक्षा तथा विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह): (ए) वर्ष 1988–89 में प्राईमरी से मिडल तथा मिडल से हाई किए गए स्कूलों की जिलावार संख्या निम्न प्रकार है:–

जिला	प्राईमरी से माध्यमिक	माध्यमिक से उच्च
भिवानी	5	1
फरीदाबाद	1	1
गुड़गांव	6	1
हिसार	9	4

जीन्द	5	8
करनाल	3	
कुरूक्षेत्र	1	
नारनौल	5	3
रोहतक	8	4
सिरसा	7	3
सोनीपत		1
कुल जोड़	50	26

वर्ष 1988–89 में कोई भी उच्च स्कूल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के स्तर तक स्तरोन्नत नहीं किया गया।

(बी) इन स्कूलों में अध्यापक नौर्म के अनुमार दिए जाते हैं। वर्ष 1988–89 में अध्यापक वान्छित संख्या में नौर्म अनुसार दिए गए हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माती महोदय से यह जानना चाहता हू कि जो स्कूलज अप–ग्रेड किये गये हैं, क्या वहां पर अध्यापक, फर्नीचर व कमरों के साथ–साथ अतिरिक्त धन की उपलब्धि भी कराई गई है या न् ही? जों– जो

विशेष प्रकार की सुविधाएं अप–ग्रेड किये गये स्कूलों में दी जानी आवश्यक थी, क्या उन सुविधाओं का ध्यान रखा गया है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर सर, अप–ग्रेड किये गये स्कूलों में जिन–जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है वे सभी पूरी कर दी गई हैं। स्टाफ वगैरह भी दे दिया गया है।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, 1988–89 में हरियाणा के 12 जिलों में से 11 जिलों में स्क्लज अप–ग्रेड किये गये लेकिन पता नहीं किन कारणाँ से अम्बाला एक ऐसा जिला है जहां पर न प्राईमरी से मिडल और न मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किया गया है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अम्बाला जिले में डिमांड के बावजूद स्कूलों की अप–ग्रेडेशन की सरकार ने कोई जरूरत क्यो नहीं समझी ?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राईमरी से मिडल 500 और मिडल से हाई लगभग 100 स्कूलज अप–ग्रेड किये गये लेकिन 1986–87 में चूंकि असैम्बली चुनाव आ गये थे इसलिए ये कांग्रेसी भाई एक साल में ही सारा काम कर गये थे। ये जो स्कूलज अप–ग्रेड किये गये हैं, वे सारे के सारे कन्याओं के ही स्कूलज हैं। कन्याओं को एक गांव से दू सरे गांवों तक जाने में दिक्कत होती थी इसलिये इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हर जगह पर कन्याओं के स्कूलज को ही अपग्रेड किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, क्या माती महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्कूलज अप–ग्रेड करने का क्या क्राइटेरिया है और जो स्कूलज अप–ग्रेड किये गये हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्टवाईज डिसपैरिटी है, उसके क्या कारण है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर सर, स्कूल्ज अप–ग्रेडेशन के लिये बाकयदा औफिसर्ज की एक कमेटी बनी हुई है और जो भी केस नीचे से आता है उस पर वह कमेटी गौर करके ही फैसला करती है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के जवाब के पार्ट 'बी' में लिखा हुआ है, ''इन स्कूलों में अध्यापक नौर्म के अनुसार दिये जाते हैं। वर्ष 1988–89 में अध्यापक वान्छित संख्या में नौर्म अनुसार दिये गये हैं।'' लेकिन स्ब से बड़ी कठिनाई यह होती है कि जो स्कूल अप–ग्रेड हो जाते हैं वहां पर स्टाफ पूरा नहीं जाता है। क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि जो स्कूलज अप–ग्रेड किये गये हैं वहां पर स्टाफ के कमी नहीं है? क्या उनमें स्टाफ पूरा है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर सर, जो–जो स्कूलज अप–ग्रेड किये गये हैं, वहां नौर्मज के मुताबिक स्टाफ भेज दिया गया है।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं किं स्कूल्ज अपग्रेडेशन का क्राइटेरिया क्या है? अगर ऐजूकेशन है तो उसके हिसाब से अम्बाला मोस्ट

ऐजूकेटिड डिस्ट्रिक्ट है और अगर पिछड़े इलाके का क्राइटेरिया है तो फिर महैंन्द्रगढ़ जिला सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन दोनों ही जिलों में नौर्मज के मुताबिक स्कूलज अप–ग्रेड नहीं किये गये हैं। सोनीपत में केवल एक ही स्कूल अप–ग्रेड किया गया है और फरीदाबाद में केवल को स्कूलज अप–ग्रेड हुए हैं स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय हमें क्लीयर शब्दों में बताएं ताकि हमारी तसल्ली हो सके और हम जाकर अपने हल्का के लोगों की, जोकि रोजाना हमारे से पूछते हैं, तसल्ली करवा सकें क्योंकि लोग हमसे ज्यादा पोलिटीकली कांशियस हो गये हैं, वे हमें इस बारे में बार–बार पूछते

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं हाउस की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि ये सारे स्कूल्ज कन्याओं के ही अप–ग्रेड किये गये हैं और मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्कूल्ज अप–ग्रेडेशन के लिये औफिसर्ज की एक कमेटी बनी हुई है, वही इसका फैसला करती है। नीचे से जो केस आता है, उस पर वही कमेटी अन्तिम निर्णय लेती है।

15. 00 बजे।

श्री शिव प्रशादः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो हमारे सामने लिस्ट रखी है इसमें 1988–89 में अम्बाला जिले को इग्नोर किया गया 'है। वैसे अम्बाला को 1977 से लेकर अब तक इग्नोर

किया गया है। अब क्या मन्त्री जी विश्वास दिलाएंगे कि 1990–91 में अम्बाला जिले की पिछली कसर को पूरा कर दिया जाएगा?

श्री हुकुम सिंहः स्पीकर साहब, इनकी पिछली कसर तो हमने 1989–90 में ही पूरी कर दी है। इनके यहां 16 स्कूल प्राइमरी से मिडल अप–ग्रेड हुए हैं और 8 मिडल से हाई हुए हैं।

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी ने अपने जवाब के भाग 'ख' में कहा है कि नौर्म के मुताबिक ये रिक्त पद भर दिए है। ये मौर्म क्या हैं और कितने छाछों के पीछे एक शिक्षक होता है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, जब प्राइमरी से मिडल स्कूल अप–ग्रेड होता है तो पहले साल में एक एस० एस० मास्टर और एक साईंस मास्टर निंयुक्त करते हैं और दूसरे साल एक संस्कृत और ड्राइंग का टीचर नियुक्त करते पै।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, स्कूल को अप–ग्रेड करने के लिए पापुलेशन और डिस्टेंस का नौर्म होता है, यह नहीं कि वहां पर वैसे ही स्टाफ भेज दिया जाता है। दू सरे इन्होंने कहा कि एक कमेटी बनी हुई है। जो ऐजूकेशन मिनिस्टर बनता है वह. आदमी एक ऐजूकेशीनस्ट होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि मन्त्री जो तैयार होकर आए होंगे। क्या ये बताएंगे कि स्कूल ' अपग्रेड करने के नौर्म क्या हैं और जो कमेटी बनाई हुई है उस के कौन–कौन मैम्बर हैं?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मिडल स्कूल जब अपग्रेड हो तो वहां पर 11 कमरे होने चाहिएं और 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। जहां तक फासले का ताल्लुक है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल का क्य से कम तीन किलोमीटर का फासला होना चाहिए।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, हमारा भी यमुनानगर जिला अलग सें बन गयो है। वहां 1989–90 में कोई भी स्कूल दस जमा दो का अपग्रेड नहीं हुआ। क्या मन्त्री जी विश्वास दिलाने की कृपा करेंगे कि इस साल में हमारा खास तौर से ध्यान रखा जाएगा?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, यमुनानगर भी पहले अम्बाला जिले में ही था'। वर्ख 1989–90 में दस जमा दो के वहां पर तीन स्कूल अपग्रेड हुऐ हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया था कि सभी स्कूलों में नौर्म के मुताबिक टीचर्ज भेज दिए हैं। क्या जिला महैंन्द्रगढ़ के डी० ई० ओ० से इनके पास कोई मांग पत्र आया है कि हमारे यहां टीचर्ज के इतने स्थान खाली हैं, इनको भरा जाए?

श्री हुकम सिंहः हमारे पास वहां के डी० ई० ओ० की तरफ से कोई एसी मांग' नहीं आई है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मन्त्री जी ने बताया कि मौर्म के अनुसार सभी जगह टीचर भेजे गए हैं।

हमारे यमुनानगर जिले में केवल छछरोली और बिलासपूर में 60 पोस्टें जे० बी० टी० की और 60 पोस्टें संस्कृत टीचर्ज की खाली पड़ी हैं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि वहां पर टीचर्ज क्यों नहीं गए?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): स्पीकर साहब, यह नौर्मर्ज का प्रश्न बहुत देर से आ रहा है इसलिए मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। शिक्षा के मामले में नौर्मज होते हैं साक्षरता के हिसाब से। जहां–जहां साक्षरता ठीक है वहां स्कूल व कालेज कम बनाए हैं और जहां कम होती है वहां ज्यादा बनाए जाते हैं। अम्बाला और सोनीपत में साक्षरता ज्यादा रही है और सिरसा तथा महैंन्द्रगढ़ में कम रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल अपग्रेड करने का मामला तय किया जाता है।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि जो कमेटी बनी हुई है उसके चेयरमैन कौन हैं और मैम्बर्ज के क्या नाम है। लेकिन उन्होंने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, उस कमेटी में डिप्टी सी० एम०, ऐजूकेशन मिनिस्टर तथा तीन चार मैम्बर और होते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं क्या वे सभी नौर्मज पूरे करते हैं और जो स्कूल अपग्रेड 'नहीं किए जा सके, क्या वे नौर्मज पूरे नहीं करते? चौधरी रणजीत

सिंह जी जिस समय मंत्री थे, क्या उस समय इनको स्कूलों के नौर्मज याद नहीं आए, अब नौर्मज याद क्यों आए हैं? (शोर)

श्री रणजीतसिंहः स्पीकर साहब, मैं इस बारे में इनको बताना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मैं इस बारे में पर्सनल ऐवसप्लेनेशन देना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Please take your seat. Next question.

Samples of Roads, Bridges, Buildings and Water Supply Tank

***1062@ Shri Hira Nand Arya, Shri Surinder Kumar Madan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether any samples of Roads, Bridges, Buildings and Water supply tanks were got analysed by the Research Laboratories of the Department during the periods from 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1984-85 and 1985-86; if so, the year-wise number thereof; and

(b) whether any of the samples out of those referred to in part (a) above, were found sub-standard, if so, the details thereof, togetherwith the action taken thereon ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for in respect of this yuestion which has been granted.

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, यही क्वैश्चन 1988 के बजट सैशन में भी आया था लेकिन उस समय भी इसका कोई जवाब नहीं आया था और आज भी जब यह लगा हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं आया है। इसके लए एंक्सटैशन उस समय भी मांगी गई थी और आज भी मांगी जा रही है। मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि इसके लिए कब तक ऐक्सटैंशन मांगी जाती रहैंगी और अब कब तक इसका जवाब आएगा?

Mr. Speaker : Madan Sahib, kindly take your scat.

The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under

Interim Reply

D. O. Letter No. 29/5/90-

बी०एण्ड आर० डब्ल्यू० (5)

"O. P. Bhardwaj

Minister,

Public Works (B & R), Haryana, Chandigarh

Dated 11-3-90

विषयः– तारांकित विधान सभा प्रश्न न० 1062 जो श्री हीरा नन्द आर्य, विधायक व श्री सुरेन्द्र कुमार मदान, विधायक द्वारा पूछा गया है।

प्रिय चड्ढा साहब

विधान सभा की कार्य सूचि दिनांक 12–3– 90 में तारांकित विधान सभा प्रश्न नं० 1062 जो कि श्री हीरा नन्द आर्य, विधायक व श्री सुरेन्द्र कुमार मदान, विधायक द्वारा पूछा गया है, उत्तर के लिये शामिल किया हुआ है 1 सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83,1983–84, 1984–85 और 1985–86 लोक निर्माण भवन तथा सड़कें विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की जानी है जिसके एकत्र करने में काफी समय लगेगा। अतः आपसे अनुरोध है किं तारांकित प्रश्न नं० 1062 के उत्तर के लिये कृपया और समय दिया जाए।

सादर,

आपका

ह०

(ओम प्रकाश भारद्वाज)

श्री एच० एस० चट्ठा

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।''

Agra Canal

***1065. Shri Udai** : Will the Minister for

Irrigation & Power be pleased to state—

(a) the total acreage of land in Faridabad district being irrigated by the Agra and Gurgaon Canal at present separately; and

(b) whether the State Government has taken up the matter with U.P. Government for taking over the control of Agra Canal falling in the area of Haryana; if so, the details thereof ?

सिंचाई तथा बिजली राज्य मन्त्री (श्री सचदेव त्यागी):

(क) आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल द्वारा जिला फरीदाबाद में वर्ष 1988–89 में सिंचित क्षेत्र पृथक–पृथक निम्नलिखित हैः– सिंचित क्षेत्र

	आगरा कैनाल	गुड़गांव कैनाल
जिला फरीदाबाद	83367 एकड़	25477 एकड़

(ख) आगरा कैनाल के किसी भाग के नियंत्रण बारे पूछने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी राज्य सरकार हरियाणा को सिंचाई वाली आगरा नहर की 11 चौनलों के प्रशासकीय नियंत्रण के स्थानांत्रण बारे उत्तर प्रदेश सरकार को समय–समय पर लिख रही है तथा विचार–विमर्श भी कर रही है।

श्री उदय भानः अष्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा कैनाल की 11 चौनलों के प्रशासकीय नियत्रण कें स्थानांत्रण के बारे मेंय क्या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हरियाणा सरकार की कोई बातचीत हुई है और क्या हरियाणा सरकार के मन्त्री की उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ इस बारे में कोई बातचीत हुई है या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के अथ कोई पत्र व्यवहार हुक है असर हुक है तो कब–कब हुआ है?

श्री सचदेव त्यागीः अध्यक्ष महोदय मैं इस महान सदन के माननीय सदस्यों को बताता चाहता हूं कि हरियाणा क्षेत्र में पड़ने वाली आगरा कैनाल का नियन्त्रण लेने के बारे में हरियाणा सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी हरियाणा के क्षेत्र को पानी देने वाली आगरा कैनाल प्रणाली की 11 नहरों का प्रशासनिक नियन्त्रण उत्तर प्रदेश सरकार से हरियाणा सरकार को देने का प्रस्ताव है जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास अक्तूबर 1962 से विचाराधीन है। इस विषय में अक्तूबर 1962 में एक हवाला भूतपूर्व पंजाब राज्य के सिंचाई व बिजली मन्त्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को भेजा गया था। तब से इस विषय पर कई अन्तर्राज्यीय बैठकें हुई और कई बार वार्तालाप/पत्र व्यवहार किया गया था। 23–1– 1975 को केन्द्रीय सरकार के कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय की अध्यक्षता में हुई एक अन्तर्राज्यीय बैठक में जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के

मुख्य मन्त्रियों ने भाग लिया इस विषय पर सिंचाई और कृषि मन्त्रालय ने एक निर्णायक प्रस्ताव भेजा कि 8 डिस्ट्रिब्यूटरीज माईनरज जो विशेषकर हरियाणा राज्य की सिंचाई करती है, साथ में 3 दूसरी डिस्ट्रिब्यूटरीज और उनके हैड रैगुलेटरज की मलकियत का अधिकार हरियाणा को दे दिया जाये। तब से यह तबदीली नहीं हुई। इसलिये एक बैठक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीच 26– 5–89 को लखनऊ में हुई। बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सचिवों की बैठक 29–6–89 को लखनऊ में हुई जिसमें उत्तर प्रदेश ने यह इशारा किया कि नहरों के नियन्त्रण की इस तबदीली से नहरो के नीचे के क्षेत्रों की सिंचाई के लिये चलाने में कठिनाई पेश आयेगी और इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल होगा। उपरोक्त 11 नहरों पर इकट्ठा नियन्त्रण रखने के लिये हरियाणा ने अपनी इच्छा प्रकट की ताकी या इन नहरों की नीचे की ओर सप्लाई पर उत्तर प्रदेश को अक्मोडेट किया जा सके। हैड रैगुलेटर के संयुक्त नियन्त्रण तथा औटोमैम्कि गेज/डिस्चार्ज रिकार्डर्ज के लगा ने पर उत्तर प्रदेश हरियाणा को स्थानान्तरण के लिए तैयार था, यदि हरियाणा नहरों पर खर्च किया पर्याप्त धन इसके लिए दे और उत्तर प्रदेश को राजस्व के घाटे के लिए मुआवजा दे जो कि लाभ कर्ताओं से जल की दरों से प्राप्त हैंता है। हरियाणा ने स्पष्ट किया कि इन नहरों की कीमत की अदायगी करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए क्योंकि ये नहरें प्रारम्भ सें ही हरियाणा के क्षेत्र की सिंचाई कर रही हैं। न ही नहरों से होने वाली राजस्व की हानि का उत्तर

प्रदेश को कोई मुआवजा देने का सवाल पैदा होता है क्योंकि नहरों के नियन्त्रण की तबदीली से हरियाणा उनकी देख–रेख करने की जिम्मदारी ले रहा है और उत्तर प्रदेश इससे मुक्त हो रहा है। कुछ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि अपने–अपने वित्त विभागों से सलाह करने के बाद इस वित्तीय मामले पर दोनों पक्षों द्वारा पुनः विचार किया जायेगा और तब एक उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए अगली बैठक में विचार विमर्श किया जायेगा। आपस में दोनों का सहमति प्रस्ताव अभी होना है। अब लेटैस्ट पोजीशन यह है कि दोनों स्टेट्स के वित्तीय सचिवों के साथ मीटिंग की जाये।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य मोती महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो वार्ता यू० पी० और हरियाणा के बीच में कम्पलीट नियत्रण के बारे में चल रही है यह कभी पूरी होगी या नही? अगर यह वार्ता कम्पलीट होनी हैं तो कब तक ये पूरी कर लेंगे?

श्री सचदेव त्यागीः अध्यक्ष महोदय, इसके लिये तीन मीटिंगें रखी गई थी लेकिन वे किसी न किसी कारण पोस्टपोन होती रही हैं। इस वार्ता को कम्पलीट करने के लिये पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, इस नहर के नियंत्रण के बारे में यह वार्तालाप आगे ही बढ़ती रही है। पिछले

सैशन में भी सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया था कि इस वार्तालाप को जल्दी ही पूरा कर लेंगे अब केन्द्र में भी और दोनों राज्यों में जनता दल की ही सरकारे हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से 'जानना चाहूंगा कि क्या अब यह संभव होगा कि इस वार्तालाप को जल्दी ही पूरा कर लिया जाये जब तक वार्तालाप पूरी नही हो जाती क्या वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी जिससे फरीदाबाद जिले के लोगों को पानी मिल सके?

श्री सचदेव त्यागीः इसके लिये पूरी कोशिश की जायेगी। दूसरा वैकल्पिक प्रस्ताव यह विचाराधीन है कि जो वहां के किसानों से पानी के ज्यादा चार्जिज लिए जा रहैं हैं, उनको उस दर में कम्पनसेशन दिया जाये।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले मे कितने एकड़ क्षेत्र बगैर सिचाई के लिये रह जा ता है और जो बारे सिंचाई के क्षेत्र रह जाता है क्या उसके लिये कोई सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री सचदेव त्यागीः अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो कुल सिंचाई अधीन क्षेत्र है वह 1,78,043 एकड़ है। इसमें से वर्ष 1988–89 में आगरा और गुड़गांव कैनाल से 1,08,844 एकड़ क्षेत्र सिंचित कया गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आगरा कैनाल का जो एरिया हरियाणा में पड़ता है उसमें से हमारा पानी का कितना हिस्सा बनता है और हमें इस हिस्से में से कितना पानी मिलता है।

श्री सचदेव त्यागीः इसके लिए अलग से नोटिस दें, बता दिया जाएगा।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एस० वाई० एल० नहर के बाद इरीगेशन का यह सबसे अहम सवाल है। मैं फरीदाबाद, गुड़गांव के तकरीबन सभी गांवों में घूमा हूं। जब भी पोलीटकल लोग वहां पर जाते हैं तो वहां के लोग सबसे पहले यह कहते हैं कि इस आगरा कैनाल के रेट बहुत ज्यादा हैं, इसका क्या कारण है। एक तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि वहां के किसानों से इस नहर के क्या चार्जिज लिए जाते हैं और इन चार्जिज के लेने का क्या क्राइटेरिया है? दूसरी बात मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब से ये मन्त्री बने हैं तब से लेकर आज तक ये सच्चे तौर पर बताएं कि क्या इन्होंने कभी इसका मौके पर जा कर विजिट किया है। एक बात इन्होने यह कही है कि इस बारे में आदरणीय चौधरी देवी लाल जी के साथ मीटिंग हुई है और सैक्रेटरी के साथ भी मीटिंग हुई है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उस मीटिंग में हरियाणा गवर्नमैट की तरफ से क्या क्लेम रखे गए और जो क्लेम

जस्टिफाई हैं क्या उसके बारे में उन्होंने ऐग्री किया है या नहि। क्या इसके बारे हैं ये बताने का कष्ट करेंगे?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर सर, हरियाणा सरकार का यह क्लेम है कि जो 11 चौनल्ज हैं उनका कन्ट्रोल दोनों सरकारों का सांझा रहैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतको माना नहीं है। उनका कहना है कि इससे आगे जो पानी जाता है उसको ले जाने में तकलीफ होती है और नुकसान भी होता है। स्पीकर साहब, पानी के अढ़ाई गुणा चार्जिज को कम करने का जहां तक सम्बन्ध है, इस बारे में यू० पी० सरकार का कहना है कि उन्हैं कम्पनसेशन दिया जाए। यह कम्पनसेशन उस जमीन के लिए है जहां से पानी जाता है। इस नहर को बनाने का खर्चा भी उन्होंने मांगा है। उन्होंने मुतालबा रखा है कि इस नुकसान का समा जमीन का और जो खर्च उनका आया है, वह उन्हैं दिया जाए। मौके पर विजिट के बारे में तो चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को ज्यादा मालूम है क्योंकि वे कई धार मौके पर गए **डा० मंगल सैनः** स्पीकर सर, आगरा कैनाल के पानी के 'कन्ट्रोल का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जबकि मन्त्री महोदय जल्दी से जल्दी इस सवाल को निपटाना चाहते हैं लेकिन सदन इनसे यह जानना चाहैंगा कि इस इलाके की कितनी धरती सिंचाई के बिना रह जाती है? इन्होंने आकड़े दे कर कुछ बताया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहूंगा कि आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल

से कितनी धरती की सिंचाई होती है और कितनी जमीन बिना सिंचाई के रह जाती हैं?

श्री सचदेव त्यागी: मैंने दोनों नहरों के आकड़े दिये हैं कि उनसे कितनी सिंचाई हो रही है और यह आकड़े भी बताए हैं कि सिंचाई अधीन क्षेत्र कितना है। आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल से असिंचित बाकी जितनी जमीन बचती है उसका डिफरैंस माननीय सदस्य स्वयं ही निकाल सकते हैं।

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आगरा' कैनाल और गुडगांव कैनाल का पानी काफी रकबे की सिंचाई नही कर पाता। दूसरे यह पानी रैगुलर नही मिलता जिस कारण किसानों को बड़ी असुविधा होती है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है जिससे इन किसानों को रैगुलर सिंचाई के साधन उपलब्ध होते रहैं?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि फरीदाबाद जिले के किसानों को 2–3 तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो उन्हैं पूरा पानी नहीं मिल पाता क्योंकि नहर का कन्ट्रोल यू० पी० सरकार के अण्डर है और मेंटेनैस भी ठीक नहीं है टू सरे हरियाणा के अन्य किसानों के मुकाबले उन्हैं अढ़ाई गुणा पानी के चार्जिज ज्यादा देने पड़ते हैं और यह आबियाना ज्यादा है। तीसरे हरियाणा के किसानों को जो

भी कारगुजारी करनी होती है उसके लिए उन्हैं यू० पी० सरकार से सम्पर्क करना पड़ता है। किसानों की इन सभी कठिनाइयो को समझते हुए सरकार कोई हल निकालने की कोशिश कर रही है, बार–बार मीटिगें हो रही है। सरकार तो यहां तक सोच रही है कि जो कम्पनसेशन हम यू० पी० गवर्नमैंट को दें, वह आबियाने के तौर पर अपने किसानों को ही दे दिया जाए।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर सर, मैंने मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि हरियाणा सरकार ने यू० पी० गवर्नमैंट से क्या–क्या क्लेम रखे है? आदरणीय चौधरी देवी लाल जो जब मुख्य मन्त्री थे तो एक मीटिंग हुई थी जिसमें श्री वीरेन्द्र सिंह जी, श्री कटियाल जी, श्री भगवान सहाय रावत जी, जनका एरिया इससे अफैक्टिड होता है और मैंने भाग लिया था। इस मीटिंग में चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने प्रिंसिपली ऐग्रो किया था कि जो ज्यादा चार्जिज हैं उनको राईट औफ करेगे। (विघ्न)। यह कहना कि नहर की रैगुलेशन का कन्ट्रोल हमें दे दिया जाए, यह तो सैंकडरी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारा क्लेम क्या है, सैगमैंट्स में कितना पानी चढ़ सकता है, कितना डिस्चार्ज हमें मिल रहा है? अध्यक्ष महोदय, याद मन्त्री महोदय को याद हो तो हाउस में बता दें नहीं तो मैं उनके रूम में जा कर इनसे आकड़े ले लूंगा।

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर सर, हमारा क्लेम यह है कि पानी रैगुलेट हमारी सरकार करे और मैंटेनैंस भी हरियाणा सरकार की ही हो तथा आबियाना भी हरियाणा सरकार ही ले।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आगरा कैनाल के बारे में हरियाणा या पंजाब सरकार का यू० पी० सरकार के साथ कब ऐग्रीमैंट हुआ था और वह ऐग्रीमैंट क्या है तथा क्या इसे कभी रिव्यू किया गया?

श्री सचदेव त्यागीः स्पीकर सर, इस नहर का जो, मेंटेनस है उसका सारे का सारा क्लेम हम ने रखा है कि यह मेंटनैसं हरियाणा सरकार करेगी और उसका आबियाना भी हरियाणा सरकार ही लेगी। जहां तक एग्रीमैंट का सवाल है इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय ने एक सवालत के जवाब में बताया कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इस विषय में बैठकें हुई हैं लेकिन हरियाणा सरकार के क्लेम को यू० पी० सरकारें ने नहीं माना। लेकिन अब वहां पर जनता दल की सरकार है और जनता दल के श्री मुलायम सिंह यादव ही वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। मैं आपके द्वारा पूछना चाहती हू कि क्या वहां पर श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में कोई मीटिंग हुई है और अगर हुई है तो क्या यू० पी०

स्टेट के रुख में कोई नर्मी आयी है या हरियाणा के प्रति नर्म रख अपनाया गया है?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में तीन बार मीटिंग का टाईम रखा गया लेकिन हर बार यू० पी० के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की रिक्वैस्ट पर मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि वे राजनैतिक मामलो में अधिक बिजी थे। अब जल्दी ही मीटिंग होगी।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, राज्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि जिला फरीदाबाद की आगरा कैनाल से 83,367 एकड़ भूमि सिंचित होती है और गुड़गांव कैनाल से 25,477 एकड़ सिंचित होती है। मैं आपके द्वारा मंडी महोदय से पूछना' चाहता हूं कि अगर पूरा पानी मिलता तो कितनी भूमि की सिंचाई हो जाती?

श्री सचदेव त्यागी: सर, वहां पर हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा है। क्योकि मैंटेनैंस भी हमारे हाथ में नहीं है इसलिए सिंचाई भी पूरी नहीं हो सकती।

Allocation of Fund for the Repair of Roads

***1054 @ Comrade Harpal Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) the total amount allocated for the repair of Roads in Tohana Constituency during the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90; and

(b) the total amount spent out of allocated funds for the repair of roads during the period as referred to in part (a) above alongwith the Kilometer and the names of the roads thereof ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for in respect of this question which has been granted.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी कांस्टिचुऐंसी में किसी भी सड़क की मुरम्मत नहीं हुई है। सन 1988 में फल्ड आया था तभी से सड़कें टूटी हुई हैं। वहां पर कोई रिपेयर नहीं हो रही है। हिसार से लुधियाना वाली सड़क की बहुत ही बुरी हालत है। उसे जल्दी रिपेयर कराया जाना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा शै क्योंकि वहां पर सड्कों की रिपेयर ही नही हुई है।

श्री अध्यक्षः आपके सवाल का जवाब तैयार नही हुआ है इसीलिए ऐक्सटेन्शन मांगी गई है।

The Communication received from the Minister concerned in this connection reads as under :—

Interim Reply

D.O. Letter No. 29/4/90-

O. P. Bhardwaj

Minister,
Public Works (B & R,

Haryana. Chandigarh.

Dated 11-3-90

विषयः– तारांकित विधान सभा प्रश्न नं० 1054 जो श्री हरपाल सिंह, विधायक द्वारा पूछा गया है।

प्रिय श्री चड्ढा जी

विधान सभा की कार्य सूचि दिनांक 12–3–90 में तारांकित विधान सभा प्रश्न नं० 1054 जो कि श्री हरपाल सिंह, विधायक द्वारा पूछा गया है, उत्तर के लिये शामिल किया हुआ है। सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना वर्ष 1987–88, 1988–89, 1989– 90 लोक निर्माण भवन तथा सड़कें विभाग के अधीनस्थ कार्यालयो से प्राप्त की जानी है, जिसके एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि तारांकित प्रश्न नं० 1054 के उत्तर के लिये 'कृपया एक सप्ताह का समय दिया जाए।

सादर,

आपका,

ह०

(ओम प्रकाश भारद्वाज)

श्री एच० एस० चड्ढा

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा

चण्डीगढ़ ।''

Widening of State Highway

***1034. Shri Rattan Lal Kataria :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to widen the Highway from Ladwa to Shahabad via Babain; and

(b) if so, the, steps taken or proposed to be taken to widen the road as referred to in part (a) above ?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj) :

(a) Yes, Sir.

(b) Implementation will depend on the availability of funds.

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मंडी जी ने किसी सवाल का 'यस' में तो जवाब दिया। लेकिन इन्होंने 'बी' भाग का जवाब दिया है कि इम्पलीमैंटेशन फण्डज की अवेलेबिलिटी पर डिपैन्ड करेगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या लाडवा से शाहबाद वाया बबैन स्टेट हाई—वे हमारे ही कार्यकाल में बन कर तैयार हो जायेगी या बाद में तैयार होगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, मैंने सदस्य महोदय के मेन सवाल के पार्ट (ए) का जवाब 'यस' में दिया है और जो इन्होंने अब सप्लीमेटरी किया है, उस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

Grani given to 'A' Class Municipal Committies

***1028. Shri Surinder Kumar Madan :** Will the Minister for Local Government be pleased to state the amount of grants given to 'A' Class Municipal Committees in the State during the years 1986-87. 1987-88, 1988-89 and 1989-90 (to-date) separately ?

स्थानीय शासन मन्त्री (श्री सुभाष कटियाल): राज्य की प्रथम श्रेणी नगरपालिकाके को वर्ष 1986–87, 1987–88, 1988–89 तथा 1989–90 (अब तक) दी गई सहायता अनुदान राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्र० सं०	स्कीम का नाम	वर्ष			
		1986–87	1987–88	1988–89	1989– 90
		(रुपये लाखों में)			
1	शहरी गन्दी बस्तियों में	I80.05	66.00	39.00	51.00

	पर्यावरण सुधार योजना (प्लान)				
2.	तदर्थ राजस्व अर्जन योजना (प्लान)	33.50	75.00	5.99	
3.	विकास कार्य (नान–प्लान)	26.32	35.22	18.75	105.00 (विशेष सहायता अनुदान)
4.	बाढ़ राहत (केन्द्रीय सहायता)			62.70	
	कुल जोड़	239.87	176.22	126.44	156.00

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न तो कुछ दूसरा स्थ लेकिन मंत्री जी ने बड़े तरीके से उसको पलट दिया है। मैंने यह पूछा था कि ''ए'' क्लास कमेटीज को अलग–अलग से कितनी–कितनी अमाऊंट दी गयी है लेकिन वह' उन्होंने नही बताया है। चलो, हम इनके इसी जवाब से गुजारा करेगे। जवाब के अन्दर सीरियल नं० 2 के तहत 1987–88 में 75 लाख और 1988–89 के अन्दर केवल 5. 99 लाख रुपये दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1989–90 में तदर्थ राजस्व योजना (प्लान) के अन्तर्गत कितना राजस्व मिला है।

श्री सुमाष चन्द कटियालः इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, इन्हैं इसका जवाब तो देना चाहिए।

Mr. Speaker : He is not prepared on that point and has asked for separate notice.

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर सर, मैं माननीय मंदी महोदय से एक बात जानना चाहूंगा। जो सूचना हमें यहां पर सप्लाई की गयी है, उसमें यह लिखा गया है कि एनवायरनमैंटल इम्प्रूवमैंट औफ अर्बन स्लम (प्लान) के तहत वर्ष 1986–87 में 180.05 लाख, वर्ष 1987–88 में 66.00 लाख, वर्ष 1988–89 में 39.00 लाख और वर्ष 1989–90 में 51.00 लाख रुपया दिया गया है। ऐडहाक रैवेन्यू अनिन्ग स्कीम (प्लान) के तहत वर्ष 1986–87 में 33.50 लाख रुपया, 1987–88 में 75.00 लाख रुपया और वर्ष 1988–89 में 5. 90 लाख रुपया दिया गया है। इस साल कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। इसी तरह से फलड रिलीफ ग्रान्ट (सैट्रल ग्रान्ट) के अधीन भी इस वर्ष में कोई पैसा नही दिया गया है। आधे से ज्यादा एम० एल० ए० साहैंबान ऐसे हैं जिनकी कास्टिचुऐंसी में छोटी–मोटी म्यूनिसिपल कमेटी जरूर आती हैं। जब भी हम लोग अपने यहां पर जाते है तो लोगों की यह शिकायत आती है कि डिवैल्पमैंट नहीं हो रही णै। मैं पहले ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर था। हमने मार्किटिंग बोर्ड से म्यूनिसिपल कमेटीज को पैसा दिया था।

श्री अध्यक्षः यह तो 'ए'' क्लास म्यूनिसिपल कमेटीज की बात है।

श्री रणजीत सिंहः जो हां, मुझे पता है। केवल उन्हीं म्यूनिसिपल कमेटीज को मार्किटिंग बोर्ड से पैसा दिया गया था। लेकिन वर्ष 1988–89 को छोड्कर पिछले तीनों सालों में उन्हैं कोई पैसा नहीं दिया गया। इस वजह से शिकायतें पहले से ज्यादा हैं।

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, please put a question.

श्री रणजीत सिंहः क्या कारण बतायेंगे कि पैसा क्यों नहीं दिया गया?

Mr. Speaker : This is not a question.

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अलग–अलग मदों में दी गयी राशि बतायी है क्या वे इन मदों का नगरपालिकावार ब्यौरा दे सकेंगे? दूसरी बात यह है कि जो राशि अनुदा न के रूप में सरकार देती है, इसके नैर्म्ज दया हैं? किसी कमेटी को किस आधार पर यह ग्रान्ट दी जाती है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः सर, यह ग्रान्ट अवेलेबिलिटी औफ फंड्ज तथा पापुलेशन दोनों बातों को देखकर तय की जाती है। अगर कमेटीज के बारे में यह पूछना चाहैं कि किस–किस कमेटी को कितना–कितना पैसा किस–किस मद में दिया गया है,

तो मेरे पास लिस्ट है, वहू मैं पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान व शोर)

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः पढ़ दें।

श्री सुभाष चन्द कटियालः ई० आई० यू० एस० के तहत इस प्रकार से ग्रान्ट दी गयी है:—

(रु० लाखों में)

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
अम्बाला	5.00	1.00	5.00	3.00
अम्बाला सदर		I.00		3.00
यमुनानगर	5.00	2.00	2.00	3.00
कैथल	5.00	1.00	2.50	3.00
थानेसर	5.00	1.00	2.50	3.00
करनाल	15.00	2.00		3.00
पानीपत		3.00	2.00	3.00
सोनीपत	5.00	0.50	2.00	3.00
गुड़गांव	5.00	--	2.00	3.00

जींद	5.00	2.00	2.50	3.00
हिसार	5.00	3.00	2.00	3.00
हांसी	5.00	1.00	2.00	3.00
सिरसा	20.00	15.00	2.00	3.00

(शोर एवं व्यवधान)

स्पीकर साहब, भिवानी में पचपन लाख रुपया वर्ष 1986–87 में दिया गया था।

आवाजें: स्पीकर साहब, यह काफी हो गया।

श्री अध्यक्ष: कटियाल साहब, आप कृपया बैठे।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार योजना के अधीन वर्ष 1986–87 में 180 लाख रुपया दिया गया, 1987–88 में 66 लाख रुपया दिया गया, 1988–89 में 39 लाख रुपया दिया गया और वर्ष 1989–90 में 51 लाख रुपया दिया गया। मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में रुपया कम होता चला गया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि यह बात क्या इस बात को नहीं दर्शाती कि शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार योजना की तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः स्पीकर साहब, वर्ष 1989–9० में तो रुपया बढ़ गया है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो आकड़े दिए हैं, जो लिस्ट उन्होंने पढ़ी है वह तो बहुत लम्बी है। जिन सालों में नगरपालिकाओं को यह पैसा दिया गया है यह तो अलग बात है लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी नही है

Mr. Speaker : Please put the question.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, वर्ष 1986–87 में नगरपालिकाओं को 239.87 लाख की मदद दी लेकिन वर्ष 1989–90 में वह मदद केवल 156 लाख की रह गई। अध्यक्ष महोदय, बजट के मुताबिक राज्य का राजस्व सालाना बीस परसैन्ट बढ़ जाता है। इस अनुपात से चार साल में नगरपालिकाओं को एक करोड़ रुपया ज्यादा दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Please put the question.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः दूसरी बात यह है कि महंगाई की स्थिति को देखते हुए भी ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए था। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नही है या कोई और कारण है कि शहरों के सुधार के लिए लगातार पैसा कम दिया जा रहा है? अगर

सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो वित्तीय साधन जुटाने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः अध्यक्ष महोदय, 1986–87 में पर्यावरण सुधार योजना के तहत 180 लाख रुपया खर्च किया गया था और यह इलैक्शन का वर्ष था। कांग्रेस सरकार ने यह पैसा खर्च किया था। उस साल अकेले भिवानी में पचपन लाख रुपया दिया गया था। आप इस बात को ऐप्रीशिएट क्यों नहीं करते कि विकास कार्य तथा बाढ़ राहत योजनाओं के तहत वर्ष 1986– 87 में केवल 26 लाख रुपया खर्च किया गया था जबकि वर्ष 1989–90 में 105 लाख रुपया खर्च किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जब हम नगरपालिकाओं को ग्रान्ट देने लगे तो हमारे सामने एक दिक्कत आई और वह यह थी कि बिजली बोर्ड को एल० आई० सी० से कुछ लोन सैंक्शन किया गया था, कितने करोड़ 1इ क्या गया था यह फिगर मुझ याद नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, लोन सैंक्शन हो गया लेकिन बिजली बोर्ड को भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नगरपालिकाओं की तरफ लोन की किस्तों का रुपया बाकी है। जब तक किस्त वापिस नहीं आ जाएगी तब तक बिजली बोर्ड को पैसा नहीं दया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे फिगर तो याद नहीं हैं लेकिन तकरीबन पचास लाख रुपया म्यूनिसिपल कमेटीज के कर्जे की किस्तो का चुकाया है इसलिए इस साल में ज्यादा मदद नगरपालिकाओं की हम नही कर पाए।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, यह सूची पढ़ते हुए मरती महोदय ने क्रम संख्या एक तथा दो पर अम्बाला नगरपालिका का नाम लिया है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला छावनी नगरपालिका का इस वर्ष कोई पैसा नहीं दिया गया और अगर दिया गया है तो अम्बाला छावनी नगरपालिका को क्रम संख्या एक पर दिया गया है या क्रम संख्या दो पर दिया गया है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः अध्यक्ष महोदय, अम्बाला सदर के सामने जो पैसा दिया गया हूँ वह अम्बाला छावनी को दिया गया है। (विघ्न) क्रम संख्या दो वाला अमाउन्ट अम्बाला छावनी की नगरपालिका को दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि रिवाड़ी नगरपालिका को शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार योजना के तहत पिछले चार सालों में कितनी राशि दी गई?

श्री सुभाष चन्द कटियालः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986–87 में चार लख, 1987–88 में दो लाख, 1988–89 में अढ़ाई लाख और 1989–90 में तीन लाख रुपये दिये गये हैं।

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Meat Market at Gurgaon

***1039. Shri Sita Ram Singla :** Will the Minister for Local Government be pleased to state —

(a) whether there is any pro posal under consideration of the Government to construct a separate Meat Market at Gurgaorm; and

(b) if so, the time by which the aforesaid market is likely to be constructed ?

स्थानीय शासन मन्त्री (श्री सुभाष चन्द कटियाल):

(अ) नही।

(ब) ''अ'' के दृष्टिगत, उत्तर शून्य है।

Fifty Beds Hospital

***1022. Shri Math Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under

consideration of the Govt. to construct a fifty beds Hospital in Mandi Dabwali; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is
likely to materialize ?

मुख्यमन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Enrolment of Students belonging o Nomad Castes

***1043 Kailash Chand Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the students belonging to nomad castes have been enrolled in the schools in the state during the year 1988-89; if so, the number thereof ?

शिक्षा तथा विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह): जी हां, घुमन्तु जातियों के 266 बच्चे वर्ष 1988–89 के दौरान पहली कक्षा में दाखिल हुए।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Production Bonus to Employees

177. Shri Surinder Kumar Madan : Will the Ministei for Irrigation and Power be pleased to state whether the production bonus is being given to the employees working

in Thermal plants; if so, the amount of bonus disbursed during the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90 ?

मुख्यमन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): जी हां। पानीपत थर्मल और फरीदाबाद थर्मल प्लांटस के ऐम्पलाईज को दिये गये उत्पादन भत्ते का वर्षानुसार ब्यौरा इस प्रकार है:—

1987—88	85.19 लाख रुपये
1988—89	99.43 लाख रुपये
1989—90 (नवम्बर 1989 तक)	61.33 लाख रूपये

Kaithal Drain

Shri Surinder Kumar Madan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the year in which the Kaithal drain was constructed and the rate at which the land was acquired for drain purposes; and

(b) whether the payment to the land owner has been made, if not, the reasons therefor ?

Interim Reply

D.O. No. 15/1/90-4MIP

"OM PARKASH. CHAUTALA Chief Minister, Haryana.

Chandigarh.

Dated 12-3-90

Subject : Unstarred Assembly Question No. 178 regarding Kaithal Drain asked by Shri Surinder Kumar, M.L.A.

Sir

Shri Surinder Kumar, M.L.A. has asked above 'Assembly Question about the year during which Kaithai Drain was constructed and also details of payments regarding compensation of land acquired for construction of drain.

Since the land for. Kaithal Drain was acquired before the reorganisation of Punjab State and the record of land acquisition is to be collected from Punjab Government, therefore, it will take some time to collect the information.

I would request you that Government may be allowed two months' time to give reply to this Assembly Question.

Yours sincerely,

Sd/-

(Om Parkash Chautala)

Shri H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha. Chandigarh."

Realisation of Abiana

179. Shri Udai Bhan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the amount of "ABIANA" being realized from the area which is being irrigated by Agra Canal and other Canals in the State ?

मुख्यमन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): वर्ष 1988–89 में जो आबियाना लिया गया था वह निम्न प्रकार से है:–

1 आगरा नहर = 45.88 लाख रुपये

(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया)

2. अन्य नहरें = 1263.88 लाख रुपये

(हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया)

J.B.T. Teachers in the State

180. Shri Udai Bhan : Will the Minister for Education be pleased to state the number of J.B.T. Teachers in District Faridabad togetherwith the number of Teachers belongirmg to Scheduled Castes amongst them at present?

शिक्षा तथा विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह): इस समय फरीदाबाद जिले में कार्यरत जे० बी० टी० अध्यापकों की संख्या 2,680 है जिनमें से 125 अध्यापक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं।

Upgradation of Sub-tehsil Hodel

181. **Shri Udai Bhan :** Will the Minister for Revenue

be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Sub-tehsil Hodel into a full-fledged tehsil

राजस्व मन्त्री (राव राम नारायण): जी, नहीं।

Sugar Mill, Palwal

182 Shri Udai Bhan : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to increase the crushing capacity of Cooperative Sugar Mill, Palwal; if so, the time by which the capacity of said mill is likely to be increased ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह): इस समय सरकार के स्तर पर पलवल चीनी मिल की पिड़ाई की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने एक ऐडजर्नमैन्ट मोशन मेहम के बाई–इलैक्शन के बारे में दिया हुआ है। हम उसकी फेट जानना चाहते है। (शोर)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा भी ऐडजर्नमैंट मोशन था।

Mr. Speaker : Please take your seat. I am coming to that and will reply to everybody one by one.

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन डिजनी लैन्ड के बारे में दिया था उसका क्या बना ?

Mr. Speaker : Doctor Sahib. I have received it. That **is** under consideration.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, हमारा भी एक काल अटैन्शन मोशन डिजनी लैन्ड से सम्बन्धित था। (शोर)

Mr. Speaker : I have received the calling attention motions from you and Shri Sita Ram Singla also regarding Disneyland. Those are also under consideration.

श्री राम विलास शर्माः स्पीकर साहब, मेहम उप–चुनाव से सम्बन्धित मेरा भी एक काल–अटैन्शन मोशन का नोटिस था उस बारे में मैं जानना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : That is also under consideration.

कार्य स्थग्न प्रस्ताव

Mr. Speaker : I have received notices of adjournment motions from Shri Harpal Singh and Shri Mahender Partap Singh & Capt. Ajay Singh Yadav regarding Meham bye-election. These have been rejected as the Government is making a statement on this subject under Rule 64. Now you please take your seat. The Deputy Chief Minister may kindly make the statement.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आपको सब कुछ करने का अधिकार है लेकिन आप हमारी बात तो सुनिये। जब आ पने मोशन रिजैक्ट कर दिया है तो ये इस बारे में स्टेटमैंट किस प्रकार से दे सकते हैं? (शोर)

श्री अध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप सह जी आप बैठिये। यहां हर बात कानून से चलेगी। धक्के से कुछ नहीं चलेगा। Just go through the rules. I have not rejected it solely on one ground but on a number of grounds. (Interruptions).

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, सारी मानवता वहां पर खत्म कर दी गई हैं लेकिन आप हमें यहां पर बोलने का समय नही दे रहैं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : There are 6-7 grounds of its rejection. I am not bound to disclose the grounds. Now you kindly take your seat as I have called upon the Deputy Chief Minister to make a statement under Rule 64.

उपमुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आदेश दया है कि मैं अन्डर रूल 64 स्टेटमैंट दूं लेकिन ये शोर ही बहुत कर रहैं हैं। (शोर)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान) यह बहुत अहम मसला है।

श्री अध्यक्षः गवर्नमैंट इसी मामले पर स्टेटमैंट दे रही है। इसके इलावा आप और क्या चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat now.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, ...

.....

Mr. Speaker : Whatever is being said without my permission will not be recorded.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कहने जा रहा हूं जो ये पूछना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Mr. Speaker: Mahender Partap Ji, kindly take your seat. मैंने आपकी बात सुन ली है और जो कुछ आपने दिया है, पढ़ भी लिया है। Government is making a statement on this very subject just now. Besides, the budget would be presented on the 14th March, 1990. You will get ample opportunity to raise this matter during discussion on that and. Demands for Grants etc.

वाक आउट

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः .... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, no. I am not going to tolerate this. It will not be recorded. You please take your seat and let ,the Deputy Chief Minister make the statement.

आवाजें: स्पीकर साहब, यह बड़ा अहम मसला हैय इस पर आधे घण्टे की डिस्कशन होनी चाहिये। (शोर)

Mr. Speaker : No, no. I have rejected the motions. You please sit down. Government is giving a statement on this very subject. I will not allow anybody to speak like this. (Interruptions).

Chaudhri Mahender Pariap Singh :
..... (शोर)

कई आवाजें: ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष: यह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। उपमुख्य मन्त्री जी अपनी स्टेटमैंट जारी रखें।

आवाजें: तो हम प्रोटैस्ट के तौर वाक आउट करते हैं। (शोर)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, हम ऐसी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए तैयार नही हैं। (शोर) हमें जब अपने विचार रखने का समय भी नही दिया जा रहा है तो बैठने का क्या फायदा है? हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं।

(इस समय सर्वश्री हरपाल सिंह (सी० पी० एम०), लछमन सिंह कम्बोज, योगेश चन्द शर्मा, वासु देव शर्मा, दुर्गा दत्त अत्री (अन–अरैच्ड) धर्मपाल (इंडिपैंडैंट) अजय सिंह यादव और महैंन्द्र प्रताप सिंह (कांग्रेस–जाई) सदन से, वाक आउट कर गए।)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह तरीका अच्छा नही कि आप द्वारा बार–बार मना करने के बावजूद भी सम्मानित सदस्य इस प्रकार से अड़े रहैं। (शोर) कांग्रेस जैसी संस्था के आदमी इस प्रकार की बात करे यह शोभा नही देता। ये लोग राजीव गांधी जी की तरफ देखें, किस प्रकार से वे विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रहैं हैं। उन्होंने इस तरह कभी वाक आउट नही किया।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा काल अटैन्शन मोशन मेहम के उप चुनाव के संबंध में था। सरकार की तरफ से उस बारे में स्टटमैंट दी जा रही है। मैं भी यही चाहता था कि सरकार स्थिति को स्पष्ट करे, हरियाणा में इस बारे में गलत फहमियां हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा मोशन भी इसके साथ जोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्षः रूल 6 तु के तहत दी गई स्टटमैंट के साथ इसको नही जोड़ा जा सकता।

नियम 64 के अधीन वक्तव्य –

उप मुख्य मन्त्री द्वारा मेहम उप–चुनाव सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप स्टेटमैंट, दें।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहम

उप–चुनाव क्षेत्र में शुरू से ही चुनाव. दो विचार– धाराओं या दो पक्षों में होने की जगह श्री डांगी ने इस को एक निजी लड़ाई में परिवर्तित कर दिया।

श्री दौगी व उनके समर्थकों ने सारे चुनाव में बहुत भद्दा और अश्लील किस्म का प्रचार किया। उन्होंने जनता दल के झण्डे, पोस्टर व बैनर फाड़े, गाड़ियों पर पथराव किया, भद्दे नारे लगाए तथा चुनावी सभाओं को बिगाड़ने की भी चेष्टा की।

दागी समर्थकों के '''जैली बिग्रेड'' व तथाकथित शान्ति सेना ने मेहम हरेके के गांव–गांव में जाकर यह प्रचार किया कि चुनाव के दिन बूथों पर कब्जा करो और किसी को पोलिंग बूथ में मत घुसने दो।

18–2–90 को श्री ओम प्रकाश चौटाला मुख्य मंदी हरियाणा के मदीना गांव में जलसे के दौरान श्री दागी के समर्थकों ने भद्दे नारे लगाए, मुख्य मंत्री के काफिले पर कीचड़ और पत्थर फैंके और एक ऐम्बुलैंस में बैठे डाक्टर। पर घातक हमला किया। अध्यक्ष महोदय, लड़ाई में जो मैडिकल कोर होती है उस पर हमला नहींकिया जाता लेकिन वहां पर फायर बिग्रेड पर भी हमला किया गया।

21–2–90 को श्री दौगी व उन के समर्थकों ने भारत के उप–प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल की बैठकों को भी नहीं

बख्शा। वहां भी इन व्यक्तियों ने भद्दे नारे लगाए और बैटक में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की।

16–2– 90 को मोखरा गांव में दौगी के कार्यकर्ताओं ने जनता दल के कार्यालयो को आग लगा दी। इसी दिन दागी के समर्थकों ने बेनीं चन्द्रापाल गांव में एक करियाना की– दुकान को आग लगाई। 23–2–90 को फरमाना गांव में दागी के समर्थकों ने जनता दल के कार्यकर्ताओं पर जो कि शान्तिपूर्वक प्रचार कर रहैं थे, हिंसात्मक आक्रमण किया कौर बुरी तरह पीटा। ऐसी हरकतें 2 4–2– 90 को मोखरा गांव में पुनः दागी के समर्थको ने जनता दल वर्करज के साथ की। इन चारों घटित घटनाओं में पुलिस ने मेहम थाने में एफ० आई० आर दर्ज की है।

दागी व उन के समर्थकों से मिलकर कुछ प्रैस के लोगों व अखबारों ने झूठी कवरेज करने और अफवाहैं फैलाने तथा बड़े पूंजिपतियों के इशारे पर गयो को तोड़–मरोड़ कर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। उदाहरण के तौर पर 16 फरवरी को ''नवभारत टाइम्ज'' ने मेहम के बारे खबर देते हुए पहली लाईन इस प्रकार दी कि ''मेहम विधानसभा के चुनावी महाभारत में खून की होली खेली जाने की पूरी पूरी संभावना है''। इसी अखबार ने 21 फरवरी कोएक सुर्खी छापी ''मेहमः आतंक व हिंसा का भूत वोटर के सिर चढ़कर बोल रहा है।'' इसी अन्दाज में कुछ अन्य अखबारों ने भी एक ऐसा दूषित वातावरण पैदा 'किया जिससे वोटर भयभीत हुए, पार्टी के विद्रोही समर्थक उत्तेजित हुए, उन्हैं हिंसा करने की प्रेरणा

मिली और सारे चुनाव क्षेत्र में एक अनावश्यक व अनुचित तनाव फैला।

उपरोक्त सारी हरकतों से स्थिति विस्फोटक बन गई परन्तु इस सारे दूषित वातावरण में भी मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला की जनता दल के कार्यकर्ताओं को यह खास हिदायत थी कि किसी से भी टकराव मोल न ले, संयम में रहकर शान्तिपूर्वक ढंग से चुनाव प्रचार जारी रखें।

सारी स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेहम चुनाव में उप–चूनाव को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने की तैयारियां की। हरियाणा पुलिस के साथ–साथ केन्द्रीय पुलिस की पर्याप्त फोर्स भी सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई। 50 प्रतिशत प्रीजाइडिंग औफिसर भी केन्द्रीय सरकार से बुलाए गए थे ताकि कार्यावाही निष्पक्ष व चुनाव आयोग के आदेशानुसार हो।

27–2–90 को चुनाव साधारणतयारू शान्तिपूर्ण रहा और कुछ छुट–पुट की घटनाओं को छोड्कर जिस के मध्यनजर जांच उपरान्त चुनाव आयोग ने 156 पोलिंग बूथस में' से केवल 8 में पुनः मतदान करने के आदेश दिये। शाम 5 बजे तक 80.56 प्रतिशत वोट डाले जा चुके थे और सभी उम्मीदवारों के पोलिंग ऐजेन्टस की मौजूदगी में बक्से बन्द करवाए जा चुके थे।

28–2–90 पुनः मतदान के समय दुर्भाग्य से जो हिंसा की घटनाएं हुई, उन का न्यायिक जांच के लिए उच्च न्यायालय के

वर्तमान जज जस्टिस श्री एस०एस० ग्रेवाल को राज्य सरकार ने नियुक्त करदिया है और यह मामला अब मान्य जज के विचाराधीन है।

घोषणाए–

(क) अध्यक्ष द्वारा पैनल औफ चेयरमैन सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस के रूल 13 (1) के अनुसार मैं फौलोइंग मैम्बर्ज को पैनल औफ चेयरमैन में काम करने के लिए नौमिनेट करता हूं–

1. श्री आत्मा राम

2. श्री किशन सिंह सांगवान

3. श्रीमती सुषमा स्वराज

4. श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह

(ख) सचिव द्वारा राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिल संबंधी

श्री अध्यक्षः अब सैक्रेटरी साहब अनाउसमैंट करेंगे।

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं उस विधेयक को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने शीतकालीन

(जनवरी) सत्र, 1990 में पारित किया था तथा जिस पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सदन की मेज पर रखता हूं।

Statement

The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) fill, 1990.

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की. पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं–

"The Committee met at .10.00 A.M. on Monday, the 12th March, 1990, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise direts the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday, at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday. Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without yuestion being put.

The Committee also recommends that the House shall adjourn on 20th March, 1990, to meet again on Thursday, the 29th March, 1990, at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered on the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business from 12th to 16th March, 1990, 19th and 20th March, 1990, and 29th March, 1990, be

transacted by the Sabha as follows :—

Monday, the 12th March, 1990 (2.00 P.M.)	1.	Obituary References.
	2.	Questions Hour.
	3.	Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.
	4.	Papers to be relaid/laid on the Table of the House.
	5.	Presentation of Supplementary Estimates (2nd Instalment) 1989-90 and the Report of the Estimates Committee thereon.
	6.	Presentation of five Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
Tuesday, the 13th March,	1.	Questions Hour.

1990 (9.30 A.M.)		
	2.	Motion under Rule 30.
	3.	Motion under Rule 121.
	4.	Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 1989-90.
Wednesday, the 14th March, 1990 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Budget Estimates for the year 1990-91.
Thursday, the 15th March, 1990 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Papers to be laid on the Table of the House.
	3.	General discussion on the Budget for the year 1990-91.
Friday, the 16th March, 1990 (9.30 A. M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Resumption of general discus- sion on the Budget for the year 1990-91 and reply by

		the Finance Minister.
Saturday, the 17th March, 1990		Off-day.
Sunday, the 18th March, 1990		Holiday.
Monday, the 19th March, 1990 (2.00 P. M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for the Year 1990-91.
Tuesday, the 20th March, 1990 (9.30 A. M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Assembly Committees Reports.
	3.	The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Esti- mates (2nd Instalmermt) 1989-90.
	4.	The Haryana Appropriation Bill 1990 in respect of the

		Budget Estimates for the year 1990-91.
	5.	Legislative Business.
	6.	Any other Business.
Wednesday, the 21st March, 1990		Off-day.
Thursday, the 22nd March, 1990		Off-day.
Friday, the 23rd March, 1990		Off-day.
Saturday, the 24th March, 1990		Off-day.
Sunday, the 25th March, 1990		Holiday
Monday, the 26th March, 1990		Off-day.
Tuesday, the 27th March, 1990		Off-day,
Wednesday, the 28th March, 1990		Off-day.
Thursday, the 29th March, 1990 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.

	2.	Motion under Rule 15 regarding Non-Stop sitting.
	3.	Motion under Rule 16 regarding adjournment of Sabha Sine-Die.
	4.	Presentation of Assembly Committees Reports.
	5.	Non-Official Business."

अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisary Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ –

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिक्मैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मैंने आपको एक पत्र लिखा था शायद वह आपको मिल भी गया होगा। 5 तारीख की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ कि 12 तारीख से

बजट सैशन होगा। स्पीकर साहब हमारे रूल्ज के मुताबिक हाउस के मैम्बरों को स्टाडं और अन–स्टार्ड क्वैश्चन्ज देने के लिए फोर्टनाईट का समय चाहिए लेकिन जिस तारीख को फैसला किया गया और जिस तारीख से सैशन स्टार्ट हुआ उसके बीच में मैम्बरों को अपने क्यैश्चन्ज देने के लिए फोर्टनाईट का समय नहीं मिला। इसके बारे में तो शायद आप यह कहैंगे कि हाउस को साईनेडाई ऐडजर्न और प्रोरोग होने के बाद मैम्बर कभी भी क्वैश्चंज दे सकते हैं और वे सवाल साल भर भेजते ही रहते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, कई बार मैम्बरों को जनता के हित केलिए सरकार से उसी समय यानि सैशन के निर्धारित समय के दौरान स्पष्टीकरण मांगने पड़ते हैं और उन समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना पड़ता है। ऐडवांस में किसी को कोई ख्याल नही होता कि 27 फरवरी को या 28 फरवरी कने क्या हो जायेगा। इसके बारे में शुरू से अनुमान नहीं लगा सकते। स्पीकर सर, सैशन के लिए जो ऐप्रूवल हुई है इससे हम प्रश्न पूछने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हुए हैं। इसलिए स्पीकर, साहब मैं रिकवैस्ट करूंगा कि प्रश्न पूछने के लिए जो टाईम निर्धारित है, उसको कन्डोन किया जाए ताकि जो क्वैश्चन देर से पूछे गये हैं वे ऐडमिट हो सके।

श्री अध्यक्षः 10 तारीख तक जो सवाल आ गए थे वे सब ऐडमिट कर लिये गये हैं।

डा० मंगल सैनः स्पीकर सर, मैंने कुछ सवाल 7 तारीख को बाई पोस्ट भेजे थे, क्या वे ऐडमिट हुए हैं?

श्री अध्यक्षः आपके सवाल मिल गए हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सदन में यह परम्परा रही है कि वीरवार का दिन नौन औफिशियल डे रहता है। इस बार वीरवार का दिन भी सरकारी काम के लिए रख लिया गया है।

श्री अध्यक्षः 29 तारीख का दिन नौन औफिशियल डे के लिए रखा गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, हर वीरवार का दिन नौन औफिशियल बिजनैस केलिए रखा जाता है ताकि उस दिन आनरेबल मैम्बर्ज गैर सरकारी काम–काज कर सकें और यदि कोई गैर सरकारी प्रस्ताव लाना चाहैं तो ला सके लेकिन इस वीरवार के दिन को औफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया गया है।

गृह–मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, बजट पर बहस कटिन्यू रहैं और सभी मैम्बर्ज अच्छे ढंग से बजट पर बहस में हिस्सा ले सकें इसलिए इसदिन को औफिशियल डे में कन्वर्ट किया गया है। 29–3–1990 का दिन नौन–औफिशियल बिजनैस के लिए रखा गया है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट 'में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर पुन रखे गये रखे गये कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, टेबल औफ दि हाउस पर पेपर रि–ले/ले करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to relay on the Table—

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 35/Const./Art.320/Amend.(1)/89. dated the 3rd April, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1989 as required under Article 3:0(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 36/Const./ Art. 320/Amd.(2)/89, dated the 10th April, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1989 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 44/Const./ Art./320/Amd.(3)/89, dated the 10th May, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1989 as required underArtiole 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Servioes) Notification No. G.S.R. 68/Const./Art. 320/C. 3/89,

dated the 21st August, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1989 as required under Article 320(5) of the Constitution- of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 73/Const. /Art. 320/Amd. (5) 89, dated the 5th September, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fifth Amendment Regulations, 1989 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (Politica1 Branch) Notification No. G.S.R. 48/H.A.3/70JS.8&9/89, dated the 19th May, 1989 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowance (First Amendment) Rules, 1989 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 38/H.A. 20/73/S.64/89, dated the 19th April, 1989 regarding the Haryana General Sales .Tax (First Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 46/H.A. 20/73/ S.64/89, dated the 17th May, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act. 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 66/H.A. 20/73/ S. 64/89, dated the 25th July,

1989 regarding the Haryana Transit Slip Writers Licensing Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Medical Education and Health Department Notification No. G.S.R. 97/ H21/86/S.3/88, dated the 8th December, 1989 regarding the Haryana Medical Education Service Rules, 1988, as required under Sub-Section 3 of Section 3 of the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Act, 1986.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 75/H.A. 2073/ S. 64/89, dated the I9th September, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 79/Const. /Art. 320/Amd. (VI)/89, dated the 29th September, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department General Servrces Notification No. G.S.R. 86/Const. /Art. 320/Amd. (VII)/89, dated the 6th November, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Seventh Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 92/Const./Art 320/Ama.

(8)/89, dated the 20th December, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Eighth Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Revenue Department Notification No. G.S.R. 88/H.A.9/89/S. 23/89, dated the 10th November, 1989 regarding the Haryana Relref of Agricultural Indebtedness Rules, 1989 as required under Section 3(3) of the Haryana Relit/ of Agricultural indebtedness Act, i989.

Sir, I beg to lay on the Table—

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 10/H.A. 20/ 73/S. 64/90, dated the Ist February, 1990 regareing the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules , 199u as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No G.S.R. 22/H.A.20/ 73/5. 64/90, dated the 20th February, 1990 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules 1990 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Grant Utilisation Certificate a nd Aud iit Report of the Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1987-88, as required under Section 34(5) of the Haryana & Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

वर्ष 1989– 90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त) पेश करना

16.00 बजे।

श्री अध्यक्षः अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर वर्ष 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (सैकिन्ड इनस्टालमैंट) प्रेजैन्ट करेंगे।

उपमुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1989–90 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

ऐस्टिमेट्स कमेटी की वर्ष 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त) पर रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः अब श्री मनी राम, चेयरमैन कमेटी औन ऐस्टिमेट्स, सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (सैकिण्ड इस्टालमैंट) 1989–90 पर एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे।

Shri Mani Ram (Chairman, Committee on Estimates) : Sir. I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1989-90.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लियें समय बढ़ाना–

(1) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रा वत, एम०एल० ए० चेयरमैन, प्रिविलोजिज कमेटी, 12 सितम्बर 1987 को श्री हजारी

लाल, डिप्टी सुप्रिन्टैन्डैंट पुलिस, जींद, द्वारा टैलीफोन पर श्री डी० डी० अत्री एम० एल० ए० तथा हाउस के अगेंस्ट मोस्ट डैरोगेटरी, इसल्टिंग, एंड कंटैम्पचुअस लैग्वेज प्रयोग करने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न के इशू पर कमेटी की सैवन्थ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैंशन के लए मोशन मूव करेंगे।

Shri Magwan Sahai Rawat (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the yuestion of alleged breach of privilege against Shri Hazari Lal, Deputy Superintendent of Police, Jind in respect of his using most derogatory, insulting and contemptuous language against Shri D.D. Attri, M.L.A. and the House on 12-9-1987 on phone.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Repert to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ—

कि कमेटी की फाइनल रिपोर्ट प्रेजैटं करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैंट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाये।।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) थी इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम० एल० एज० के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम०एल०ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, थी इन्द्र सिंह नैन और श्री भले राम, ऐक्स एम०एल०एज० द्वारा 21 दिसम्बर, 1987 को सैशन में उपस्थित होने के लिये हरियाणा विधान सभा की ओर आते समय माननीय चौधरी देवी लाल, उस समय के मुख्य मंदी तथा सर्वश्री वासुदेव शर्मा, मांगे राम तथा धीरपाल एम०एल०एज० को रोकने तथा हाथापाई करने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न सम्बन्धी मामले पर समिति की सिक्सथप्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैशन के लिये मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege against Shri Inder Singh Nain and Shri Bhalle Ram, Ex-M.L.As. in regard to the obstruction and manhandling of (the then) Hon'ble Chief Minister and Sarvshri Vasudev Sharma, Mange Ram and Dhir Pal, M.L.As. while they were coming towards the Haryana

Vidhan Sabha to attend the Session on 21st December, 1987.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the fina1 Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) साप्ताहिक पोंग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक श्री डी० आर० चौधरी के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम०एल०ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 26 अगस्त, 1988 को श्री डी०आर० चौधरी, ऐडीटर, प्रिंटर एंड पी ब्लशर औफ दि वीकली पींग द्वारा आनरेबल मैम्बर्ज आफ दि हाउस एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री

बी०डी० गुप्ता के अगेन्सट सीरियस ऐलीगेशन्ज औफ करप्शन एक यूजिंग वैरी डैरोगेटरी लैग्वेज के इशू पर कमेटी की फोर्थ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे तथ टाईम एक्सटैंशन के लिये मोशन मूव करेगे।

Siri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the yuestion of alleged breach of privilege against Shri D.R. Chaudhry, Editor, Printer and Publisher of the Weekly Peeng in regard to publishing libellous matters in its issue dated 26-8-1988, making serious allegations of corruption and using very derogatory language against the Hon'ble Members of this House and the Deputy Chief Minister, Shri B.D. Gupta.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लियै नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिंटिग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) चण्डीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह हैड कांस्टेबल ट्रैफिक तथा सुरजीत सिंह, कांस्टेबल के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम०एल०ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी 10 मार्च, 1989 को विधान सभा 'के सैशन को अटैन्ड करने के लिये आ रहैं सर्वश्री योगेश चन्द शर्मा एंड सुरेन्द्र कुमार मदान, एम०एल०एज० के साथ मिसबिहैंवियर करने तथा उन्हैं रोकने के लिये चंडीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रैफिक और सुरजीत सिंह, कांस्टेबल, के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न के इशू पर कमेटी की थर्ड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैंशन के लिये मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the yuestion of alleged breach of privilege against Sarvshri Paramjit Singh, Head Constable Traffic and Surjit Singh, Constable of Chandigarh Police in regard to misbehaviour and obstructing Sarvshri Yogesh Chand Sharma and Surinder Kumar Madan, M.L.As, while they were coming to attend the

Haryana Vidhan Sabha Session on 10th March, 1989.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ ——

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री रघु यादव एम० एल० ए० (अब भूतपूर्व एम एल० ए०) के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम०एल० ए०, चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी, 12 मार्च, 1989 को श्री रघु यादव, एम०एल०ए० (अब भूतपूर्व एम०एल०ए०) द्वारा डेली नैशनल हैरल्ड में प्रैस स्टेटमैंट देकर स्पीकर की इम्पार्शियलिटी पर रिफ्लैक्शन

डालने के इशू पर कमेटी की थर्ड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैन्शन के लिये मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Committee of Privileges) Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege against Shri Raghu Yadav, M.L.A. (now Ex-M.L.A.), in regard to the Press statemermt given by him, published in the daily National Herald dated 12-3 1989 casting reflections on the impartiality of the Hon'ble Speaker.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटन्ड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल सुबह 9.30 बज तक ऐडजर्न किया जाता है।

16.14 बजे।

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार, 13 मार्च, 1990, प्रात 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)